।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372-252175

पत्रांक 5303/ 12-1 ,गोपेश्वर, दिनांक 28,05 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 2 से मोख मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण । (FP/UK/Raod/38079/2019)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2461/FP/UK/Road/38079/2019 दिनांक 13.04.2022 .

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा तीन बिन्दुओं में सूचना चाही गयी है। चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में चाही गयी सूचना	अनुपालन आख्या
1.	राज्य सरकार रूपये 22,08,892.00 की सी0ए0 योजना की प्रति प्रस्तुत करने का कष्ट करे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि रू0 22,08,892.00 का प्राक्कलन तीन प्रतियां संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 24.02.2022 की प्रति में 5.318 है0 क्षेत्र को 6.551 है0 दर्शाया गया है तथा सम्पूर्ण क्षेत्रो का विवरण शामिल नहीं है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करे।	कम्प्यूटर ऑपरेटर के टंकण की त्रुटिवश आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण किये गये कुछ खसरा नं0 व रकवा छूट जाने तथा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6.551 है0 लिखा गया, जिसे सुधार कर प्रमाण पत्र पुनः प्रेषित की जा रही है **(संलग्न–2)**। भविष्य में अभिलेखो की जांच के उपरान्त ही प्रमाण पत्र निर्गत की जायेगी।
3.	सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं0 3(घ) के सापेक्ष में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रस्ताव का नाम एवं सम्पूर्ण सी0ए0 क्षेत्र के नाम का भी उल्लेख नही है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रमाण पत्र में प्रस्ताव का नाम व सम्पूर्ण सी0ए0 क्षेत्र व खसरा नं0 का उल्लेख भी कर दिया गया है। भविष्य में प्रमाण पत्र में प्रस्ताव का नाम व सम्पूर्ण विवरण भरकर प्रमाण पत्र निर्गत की जायेगी। **(संलग्न–3)**

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 5303 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– उप प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0, लि0 थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 से मोख मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

क्र0सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	ग्राम—कुण्डी सिविल सोयम भूमि।	6.551
	योग	6.551

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, काफल, आंवला, पदम इत्यादि	7206
	रोपित कुल पौध	**7206**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	6.551	है0	168.00	1100.57
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	6.551	है0	5446.00	35676.75
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	6.551	है0	48000.00	314448.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड्डा 25 ग्राम)	7206	गडढे	11.00	79266.00
6	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	7206	पौधे	10.00	72060.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	6.551	है0	1350.00	8843.85
8	कन्टूर नाली खुदान व रेखाकंन	1540.00	र0मी0	93.30	143682.00
9	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	7.000	सं0	23500.00	164500.00
	योग— प्रथम चरणः—				**819577.16**
	द्वितीय वर्ष				
1	गडढे भरान कार्य	7206	सं0	2.00	14412.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	7206	सं0	3.00	21618.00
3	पौध ढुलान कार्य	7206	सं0	13.00	93678.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	7206	सं0	4.00	28824.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई	7206	सं0	2.75	19816.50
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	7206	सं0	2.40	17294.40
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख—रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	45857.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	6.000	है0	1800.00	10800.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	30000.00
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एंव अन्य व्यय	1.000	सं0	L.S	10000.00
11	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	7.00	सं0	25000.00	175000.00
				योग— द्वितीय चरणः—	**467299.90**

Scanned with CamScanner

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	78612.00
2.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	4.00	है0	1800.00	7200.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	50000.00
3	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	721	पौधे	13.00	9373.00
4	पौध की ढुलान	721	पौधे	13.00	9373.00
5.	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	721	पौधे	6.00	4326.00
6	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	6.6	कु0	285.00	1881.00
7	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	721	पौधे	2.38	1715.98
				योग तृतीय चरणः–	**162480.98**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग चतुर्थ चरणः–				**108612.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग पचम चरणः–				**108612.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग छठा चरणः–				**108612.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग सातवां चरणः–				**108612.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग आठवां चरणः–				**108612.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग नौवां चरणः–				**108612.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	78612.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	30000.00
	योग दसवां चरणः–				**108612.00**

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष	819577.16

Scanned with CamScanner

2	द्वितीय वर्ष			467299.90	
3	तृतीय वर्ष			162480.98	
4	चतुर्थ वर्ष			108612.00	
5	पंचम वर्ष			108612.00	
6	षष्ठम वर्ष			108612.00	
7	सप्तम वर्ष			108612.00	
8	आठवां वर्ष			108612.00	
9	नवम् वर्ष			108612.00	
10	दसम वर्ष			108612.00	
	कुंल रूपयें			**2209642.04**	
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3–5–2 दिनांक 21.11. 2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 337184.00		6.551	ha	337184.00	2208892.4
या देय कुल धनराशि					**2208892.00**

Checked For Rs 2208892/-

D/Man
Forest

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/38079/2019 जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घुर्गा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.275 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0,लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम कुण्डी, प0पु0 मोख, तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–13 के खसरा न0 1595 में 5.035 है0, खसरा नं0 1600 रकबा 0.421है0 खसरा नं0 1601 रकबा 0.133है0, खसरा सं0 1612 रकबा 0.678है0 एवं खसरा सं0 1621 रकबा 0.284 अर्थात कुल 6.551 है0 भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन /अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 759/छब्बीस–05(2020–2021) दिनांक 27.10.2020 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गई है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना सं0 869–F/639 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– पौड़ी मई, 2022।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, 25,सुभाष रोड़, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– प्रमुख वन संरक्षक(HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण निदेशालय, देहरादून।
5– मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारी,
7– गार्ड बुक।

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा—कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि के एवज में 6.551 है0 भूमि (खसरा सं0 1595 रकबा 5.035 है0, खसरा सं0 1600 रकबा 0.421 है0, खसरा सं0 1601 रकबा 0.133 है0, खसरा सं0 1612 रकबा 0.678 है0 एवं खसरा सं0 1621 रकबा 0.284) ग्राम कुण्डी सिविल सोयम भूमि चयनित की गयी है। इस पर पूर्व में किसी योजना से वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।

(बी०एस०परसा)
वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 570 /12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 17 अगस्त 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, खन्ड–1
कर्णप्रयाग।

विषय– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घुर्मा कुन्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है०वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ– भारत सरकार एव वन मंत्रालय के पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/111/2019/एफ०सी०/884 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:–

1– शर्त सं० 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6.551 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम कुन्डी सिविल खसरा नं० 1595 रकवा 5.035 है०, खसरा 1600 रकवा 0.421 है०, खसरा नं० 1601 रकवा 0.133 है०, खसरा नं० 1612 रकवा 0.678 है०, खसरा नं० 1621 रकवा 0.284 है० में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षकउत्तराखण्ड के पत्र सं0 972/3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित दर रू0 337,184.00 के अनुसार 6.551 है० @ 337184.00= 22,08,892.00(रू0 बाईस लाख आठ हजार आठ सौ बयानबे) मात्र जमा की की जानी है।

2. शर्त सं० 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 3.275 है० दर 657000.0= रू0 21,51,675.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कावन हजार छः सौ पिचत्तर) जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्याल्य को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीयवनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-09-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6138079358
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/111/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PMGSY Division, PWD KaranprayagChamoli
Amount(in Rs)	4360567/-

Amount in Words :Forty-Three Lakh Sixty Thousand Five Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896138079358 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-09-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6138079358
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/111/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PMGSY Division, PWD Karanprayag Chamoli
Amount(in Rs)	4360567/-

Amount in Words :Forty-Three Lakh Sixty Thousand Five Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896138079358 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned by CamScanner

(3)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2177 / FP/UK/ROAD/38079/2019 :देहरादून:दिनांकः 11 मार्च, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनॉक 07.08.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1928/12–1 दिनांक 24–02–2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	शर्त सं0 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.551 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रक्वा 5.035 है0, 1600 रक्वा 0.421 है0, 1601 रक्वा 0.133 है0, 1612 रक्वा 0.678 है0, 1621 रक्वा 0.284 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।	शर्त सं0 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6.551 है0 गैर वानिकी कार्यो भूमि ग्राम कुण्डी सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु देय धनराशि रू0 22,08,892.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की गयी है एवं वृक्षारोपण में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां लगायी जायेगी।
	ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्राजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	शर्त सं0 3(ख) का अनुपालन किया जायेगा।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2-4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर के है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन	शर्त सं0 3(ग) के अनुपालन में राजस्व विभाग द्वारा 6.551 है0 भूमि ग्राम कुण्डी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण/अमलदरामद की गई है, तथा उक्त भूमि के Notification के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी संलग्न है (संलग्न–1)।

	अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग)वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तह् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं0 3(घ) के अनुपालन में वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्न–2)**।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में आई0ए0 नम्बर 556 दिनॉक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनॉक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनॉक 03.10.2006 एवं 5–13/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.275 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	4 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007, एफ0सी0 दिनांक 05/2/ 2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र की गणना के अनुसार देय धनराशि रू0 21,51,675.00 ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। 4 (ख) शर्त सं0 03 के अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रति संलग्न है। **(संलग्न–03)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 वृक्षो से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त सं0 05 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई प्रस्ताव के अनुसार ही की जायेगी एवं पेड़ो के कटान की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stageII approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं0 06 का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रवक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड़ में स्थानातंरित/जमा किया जाएगा।	शर्त सं0 07 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुल देय धनराशि रूपयें 43,60,567.00 ऑनलाईन जनरेट चालान के माध्यम जमा की जा चुकी है, की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–04)**
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0 08 का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से किया जाएगा।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	शर्त सं0 09 का अनुपालना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त सं0 10 के अनुपालना में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	शर्त सं0 11 के अनुपालना में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जायेगा।

12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाऐगा।	शर्त सं0 12 के अनुपालना मे वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूर को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	शर्त सं0 13 के अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
14	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	शर्त सं0 14 के अनुपालन में संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0 15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	शर्त सं0 16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तन की इस अनुमोदन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त सं0 17 के अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त सं0 18 के अनुपालना में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेन्सियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0 19 के अनुपालना में किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया जाएगा।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त सं0 20 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेन्सी सहमति देती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।
21	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency	In Compliance of the condition no 20 user agency shall carry out muck disposal in predesignated sites in such a manner so as to aviod its rolling down and retaining walls/terracing shall be carried out for holding the dupling in place.
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/ नियम	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/

	/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव परलागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुमति ली जायेगी।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://pravish.nic/in) पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करे।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या– 2177 / FP/UK/ROAD/38079/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1928/12-1 दिनांक 24-02-2022।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

प्रतिवेदन

विषय – धूरमाकुण्डी किमी 2 से मोख मल्ला मोटर मार्ग (स्टेज –II) – संशोधित संरेखण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध मे

धूरमाकुंडी मोटर मार्ग स्टेज –II के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार के पत्रांक P-17024/28/2021-RE(E-374991) द्वारा क्रमशः रू० 265.45 लाख निर्माण एवं रू० 25.81 लाख अनुरक्षण हेतु कुल रू० 291.26 लाख प्राप्त है। विषयक मोटर मार्ग जनपद चमोली के घाट ब्लॉक में स्थित है जो धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के कि मी 2 से शुरू होती है एवं मोख मल्ला ग्राम को संयोजित करती है उक्त मोटर मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई 5 किमी है मोटर मार्ग में स्टेज–II के कार्य की अनुबंध संख्या UT–03–152/BOND/NPCC/88 दिनांक 13/10/2021 एवं अनुबंधित लागत रु० 228.74 लाख एवं 5 वर्षो हेतु अनुरक्षण की लागत रु० 21.92 लाख है।

दिनांक **18/10/2023** को पी एम जी एस वाई, एन पी सी सी नंदप्रयाग द्वारा जनपद चमोली थराली विधानसभा के विकासखंड घाट में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत धुरमा कुंडी किलोमीटर 2 से मोखमल्ला सड़क के पूर्व में स्वीकृत संरेखण में विगत वर्षाकाल के दौरान मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने कारण पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गयास संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री नरेन्द्र तोम्क्याल प्रबंधक , श्री प्रदीप गुसाईं, कनिष्ठ अभियन्ता, वन विभाग की ओर से श्री संजय सिंह नेगी एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र मडवाल एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि श्री राजेश तिवारी प्रधान मोख, शोवन सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य की उपस्थिति में पुनरीक्षित संरेखण का निरीक्षण किया गया ।

निरिक्षण के दौरान पाया गया कि मानसून सीजन 2022–23 के मानसून सीजन 2022–23 के दौरान अतिवृष्टि के कारण मोटर मार्ग के किमी० 1 में भू स्खलन क्षेत्र विकसित हो गया है जिस कारण मोटर मार्ग किमी 1 में 860 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया है एवं अन्य कई स्थानों पर मोटर मार्ग आंशिक रूप से वाश आउट हुआ है| भूस्खलन के कारण मोटर मार्ग में काफी स्थानों पर मलबा आ गया है। जिससे मोटर मार्ग 860 मीटर की लम्बाई में प्रभावित हुआ हैं जिस कारण मोटर मार्ग में यातायात की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं एवं ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पद रहा है । इस परिस्थिति में यह प्रतीत होता है कि यदि मोटर मार्ग के मौजूदा संरेखण में परिवर्तिन नहीं किया जाता है तो भविष्य में मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं अस्थिर रहने की पूर्ण संभावना है। अतः मोटर मार्ग के मौजूदा संरेखण में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि मोटर मार्ग उक्त भूस्खलन क्षेत्र से सुरक्षित रह सके।

प्रस्तावित संरेखण धुर्मा से कु.डी मोटर मार्ग के किमी 3 से प्रारंभ हो कर पूर्व में स्वीकृत संरेखण के किमी 0.860 में संयोजित हो जाता है जो आगे ग्राम मोख्मल्ला को संयोजित करता है। पूर्व में स्वीकृत संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग कि लम्बाई 5 किमी थी एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 4.84 किमी हो रही है। इस संरेखण में नवनिर्माण हेतु प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 0.700 किमी है जिसका प्रारंभिक बिंदु पूर्व में निर्मित धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी 3 में है। प्रस्तावित पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण से 0.63 है० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.094 है कुल 0.724 है वन भूमि प्रभावित होगी । एवं प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्षों की संख्या 36 है **(संलग्न)** । उक्त मोटर

मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का दौरा **जिला** प्रशासन, **राजस्व** एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों द्वारा भी किया गया है एवं उनके द्वारा मोटर मार्ग के **अविलम्ब** पुनर्निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा भी पीएमजीएसवाय I – II के अवशेष कार्यों को मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है **(संलग्न)** ।

प्रस्तावित पुनरीक्षित संरेखण के भू – गर्भीय निरीक्षण हेतु भू वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली द्वारा दिनांक 22–05–2023 एवं 06–07–2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान भू वैज्ञानिक द्वारा पूर्व संरेखण को भू गर्भीय से दृष्टिकोण अनुपयुक्त पाया गया एवं प्रस्तावित संरेखण को भू गर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया (**संलग्न भू वैज्ञानिक आख्या**)। ग्रामीणों द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को सहर्ष सहमती प्रदान की गयी (**संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र**)।

नव निर्माण हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित संरेखण को संलग्न गूगल मैप में लाल रंग से दर्शाया गया है एवं पूर्व में स्वीकृत संरेखण पीले रंग से दर्शाया गया है ।

चूँकि मानसून के दौरान मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से पुनरीक्षित संरेखण में नवनिर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे पूर्व में स्वीकृत संरेखण में 0.774 हे० (0.860 किमी) में निर्मित मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से उक्त वन भूमि का उपयोग मोटर मार्ग निर्माण हेतु नहीं रह गया है जिसका उपयोग वन विभाग द्वारा अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत संरेखण के अनुसार 3.275 है० वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु ग्राम्य विकास विभाग को स्वीकृति प्रदान की गयी है (संलग्न) । उक्त पुनरीक्षित संरेखण में नवनिर्माण हेतु 0.724 है० वन भूमि की आवश्यकता है जिसका क्षेत्रफल क्षतिग्रस्त वन भूमि के क्षेत्रफल से कम है अतः महोदय से निवेदन है कि पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.724 है० वन भूमि पूर्व में स्वीकृत 3.275 है० वन भूमि के प्रस्ताव के अंतर्गत समायोजित कर हस्तान्तरित करने हेतु जनहित में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रबंधक
एन०पी०सी०सी०लि० नन्दप्रयाग
PMGSY WORKS
NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)

JE

पूर्व में स्वीकृत संरेखण एवं नवनिर्माण हेतु पुनरीक्षित संरेखण का तुलनात्मक विश्लेषण

मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु कार्यस्थल पर दोनों संरेखण का निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत है -

क्रं सं	प्रस्तावित पुनरीक्षित संरेखण	पूर्व में स्वीकृत संरेखण
1	मानसून सीजन 2022–23 के दौरान अतिवृष्टि के कारण मोटर मार्ग के किमी० 1 में भू स्खलन क्षेत्र विकसित हो गया है जिस कारण मोटर मार्ग किमी 1 में 860 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः मोटर मार्ग के मौजूदा संरेखण में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि मोटर मार्ग उक्त भूस्खलन क्षेत्र से सुरक्षित रह सके। प्रस्तावित पुनरीक्षित संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 4.84 किमी हो रही है।	मोटर मार्ग की पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावित लम्बाई 5 किमी है।
2	पुनरीक्षित संरेखण में नवनिर्माण हेतु 0.724 है० (0. 700 किमी) वन भूमि की आवश्यकता है जिसका क्षेत्रफल क्षतिग्रस्त वन भूमि के क्षेत्रफल से कम है।	मानसून सीजन 2022–23 के दौरान अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त वन भूमि का क्षेत्रफल 0.774 है० (0.860 किमी) है।
3	पुनरीक्षित संरेखण में नवनिर्माण से प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्षों की संख्या 36 है।	मोटर मार्ग की पूर्व में स्वीकृत 5 किमी लम्बाई में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्षों की संख्या 223 है।
4	ग्रामीणों द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को सहर्ष सहमती प्रदान की गयी (**संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र**)।	ग्रामीणों द्वारा संरेखण में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।
5	भू वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान भू वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण को भू गर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया	भू वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान भू वैज्ञानिक द्वारा पूर्व में स्वीकृत संरेखण को भू गर्भीय से दृष्टिकोण अनुपयुक्त पाया गया एवं प्रस्तावित संरेखण को भू गर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया

J.E

प्रबंधक
एन०पी०सी०सी०लि० नन्दप्रयाग
PMGSY WORKS
NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)

एन पी सी सी

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office, UP Zone, Dehradun

Ref. No. NPCC/PMGSY/ 147 **Date:.18/12/2023**

To,
Divisional Forest Officer
Badrinath Van Prabhag
Gopeshwar (Chamoli)

Subject: Construction of Dhurmakundi to Mokhmalla motor road - Regarding approval of land for new construction.

Dear sir,

It is to inform During monsoon season 2022-2023,there have been formed major slip zones from top to bottom of the of hill and around 300 meter patch of the motor road got washed out in complete width in km-1and partially washed out at many other locations due to heavy rainfall at site. In addition to this many protection walls and scuppers are also damaged. We already have informed to local administration and district disaster management office about the damages at site. The regional MLA, officers of local administration has visited the damages at site and directed to construct the motor road at the earliest. the road connectivity to the mokhmalla village has completely lost. as per the site condition, we need to change the alignment of the motor road. for the same, a joint visit was carried out of the new alignment at site with forest department and revenue department and the counting of trees has been done and the no. of trees of various species affected due to change in alignment is 36. the geologist, district task force, Chamoli has also inspected the site on dated 22/05/2023 and 06/07/2023 and he has found the new alignment suitable for the motor road.

The proposed alignment is starting from km 3 and connects the sacntined alignment at 0.860 km which in turn connects the mokhmalla village. The sanctioned lenth of the motor road is 5km and as per the changed alignment the length of the motor road comes to 4.84 km. and in this new alignment the length of the new construction motor road is 0.700 km. as per the proposed new construction, the area of affected forest land is total 0.724 ha. (i.e 0.63 ha for road construction and for muck disposal, it is 0.094 ha). the total sanctioned area diverted earlier for the road construction is 3.275 ha. and damaged area during monsoon season is 0.774 ha (0.860 km). as the area of proposed new construction (i.e 0.724 ha) is less than the damaged area so you are requested to do needful in public interest to sanction the approval of new construction within the earlier sanctioned area for the motor road.
This is submitted for your perusal and necessary action please.
Encl. as above

Regards
Thanking you

Encl. as above

With best regards

Sr. Manager (C)
Uttarakhand office
UP zone
NPCC Limited

CC:
02) Zonal manager, UP zone, Npcc Limited- for your kind information please.

प्राप्त 8-11-2023

।। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज ।।

पत्रांक 219/12 दिनांक,नन्दप्रयाग 8.11.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपश्वर

विषय– **धुर्मा कुण्डी से मल्ला मोख तक मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों की गणना सूची कें सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में नन्दप्रयाग रेंज के अर्न्तगत धुर्मा कुण्डी से मल्ला मोख तक मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों की गणना सूची के संलग्न कर महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज

प्राथमिक
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Receive by Ravinder Singh
17-11-2023
9520245144

धुर्मा ,कुण्डी से मल्ला मोख प्रस्तावित मोटर मार्ग के संमरेखण में आने वाले वृक्षो की गणना सूची का सारांश

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यासवार विवरणः–																						कुल योग
			0–10		10–20		20–30		30–40		40–50		50–60		60–70		70–80		80–90		90–ओवर		योग		
			का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	
1	लांखी सिविल भूमि	मेहल हरा खड़ा	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		अयांर हरा खड़ा	0	10	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
		बुरांश हरा खडा	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
		उत्तीस हरा खडा	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
		तुन हरा खडा	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
		योग–	0	17	0	12	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36

भीम लाल कोहली
उप वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

घुमर, कुण्डी से मला मोरव प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों की गणना सारांश

प्रजाति	व्यास वर्ग																					
	0-10		10-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-90		90 से ऊपर		कुल योग	
	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.	का.	ना.
मेहल	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
भ्यांर	-	10	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
बुरांस	-	6	-	-	-	1	-	~~2~~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
उतीस	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
तुन	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

कुल योग-36 वृक्ष

(हस्ताक्षर)
भीमलाल कोहली
उपराजिक
घाट अनुभाग
नन्दप्रयाग रेंज

सेवा में,
श्रीमान वन क्षेत्र अधिकारी महोदय
नन्दप्रयाग रांजि.

विषय- छुर्मी कुण्डी से ओरव मल्ला तक मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों की गणना सूची. (कुण्डी सिविल वन)

महोदय,
उक्त विषयक सूचना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:

	वृक्ष प्रजाति का नाम	वृक्ष की स्थिति	वृक्ष का व्यास श्रेणी	वृक्ष काबिल / नाकाबिल		भूमि का स्वामित्व
		हरा खड़ा		काबिल	नाकाबिल	कुण्डी सिविल वन
1	मेहल	—॥—	20-30	—	नाकाबिल	—॥—
2-	अंयार	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
3-	बुरांस	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
4-	अंयार	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
5-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
6-	—॥—	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
7-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
8-	उतीस	—॥—	30-40	—	॥	—॥—
9-	—॥—	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
10-	अंयार	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
11-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
12-	बुरांस	—॥—	20-30	—	॥	—॥—
13-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
14-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
15-	अंयार	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
16-	—॥—	हरा खड़ा	10-20	—	॥	—॥—
17-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
18-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
19-	—॥—	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
20-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
21-	मेहल	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
22-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
23-	अंयार	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
24-	—॥—	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
25-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
26-	—॥—	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
27-	उतीस	—॥—	30-40	—	॥	—॥—
28-	बुरांस	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
29-	—॥—	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
30-	अंयार	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
31-	बुरांस	—॥—	0-10	—	॥	—॥—
32-	उतीस	—॥—	10-20	—	॥	—॥—
33-	तून	—॥—	30-40	—	॥	—॥—
34-	—॥—	—॥—	20-30	—	॥	—॥—
35-	—॥—	—॥—	20-30	—	॥	—॥—
36-	—॥—	—॥—	10-20	—	॥	—॥—

(हस्ताक्षर)
जे.ई.
पी.एम.जी.एस.वाई
नन्दप्रयाग

(हस्ताक्षर)
राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील घाट

संजय सिंह नेगी
वन आरक्षी
कनेड़ा बीट

(हस्ताक्षर)
भीमलाल कोहली
उपराजिक घाट अनु०
नन्दप्रयाग रेंज

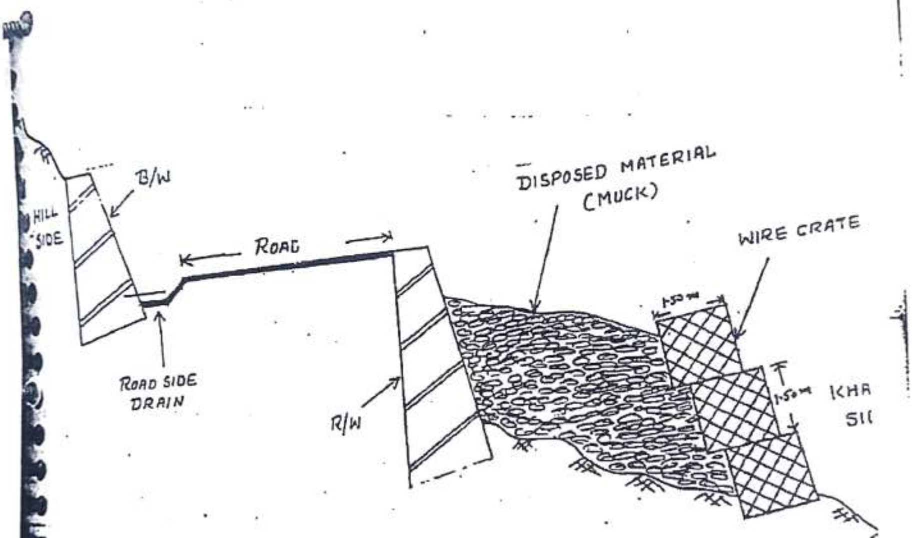

TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

JE

MGSY DIV

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Muck Disposal Plan

Name of road- Realignment of Dhurmakundi km 2 to mokhmalla motor road

Muck that is expected from hill side cutting

S.no.	Item	Nos	L	B	H	Qty.
(i)	From hill side cutting - taking average width of road (6.00+6.90=6.45). Taking average hight 4 m hight and width 6.45/2=3.225 m.	1/2x1	700.00	3.23	4.00	4515.00
(ii)	from construction of scupper (dimensions as per standard drawing 4 nos scupper)	4	6.00	3.00	2.10	151.20
	Total muck received (A)					**4666.20**

Muck that is assumed to get consumed in road constrcution

S.no.	Item	Nos	L	B	H	Qty.
1	construction of retaining and breast wall	1	403.00	1.10	4.50	1992.01
2	HP stone filling	1x4/9	403.00	1.10	4.20	826.52
3	construction of wirecrate	129	3.00	1.50	1.25	726.75
4	construction of scupper	4x1	18.00	1.10	2.10	178.26
	Total muck consumed (B)					3723.54
	Balance muck which shall be disposed in dumping zone (A-B)					942.66

Dumping Yards

S.No.	Location of dumping yard	Are in sqm (length x width)	Area of dumping yard	hight of the dumping zone	Type of land	Capacity of dumping yard (Cum)	Latitue (N)	Longintude (E)
1.00	0/5	83x3	249.00	3.80	Van Panchayat Land	946.20	79.398975	30.247567
	Capacity of dumping yard					**946.20**		

Summary of Debris Disposal

S. no	Total Debris (Cum)	Reused material for road construction (Cum)	Capacity of dumping yard (Cum)	Balance Debris (Cum)
1.00	4666.20	3723.54	946.20	-3.54

J.E

Manager (P)
PMGSY WORKS
NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Realignment of Dhurmakundi mr km 02 to mokhmalla motor road

- New Proposed Alignment
- Previously sanctioned Alignment

J.E

Realignment of Dhurmakundi MR km 02 to Mokhmalla motor road

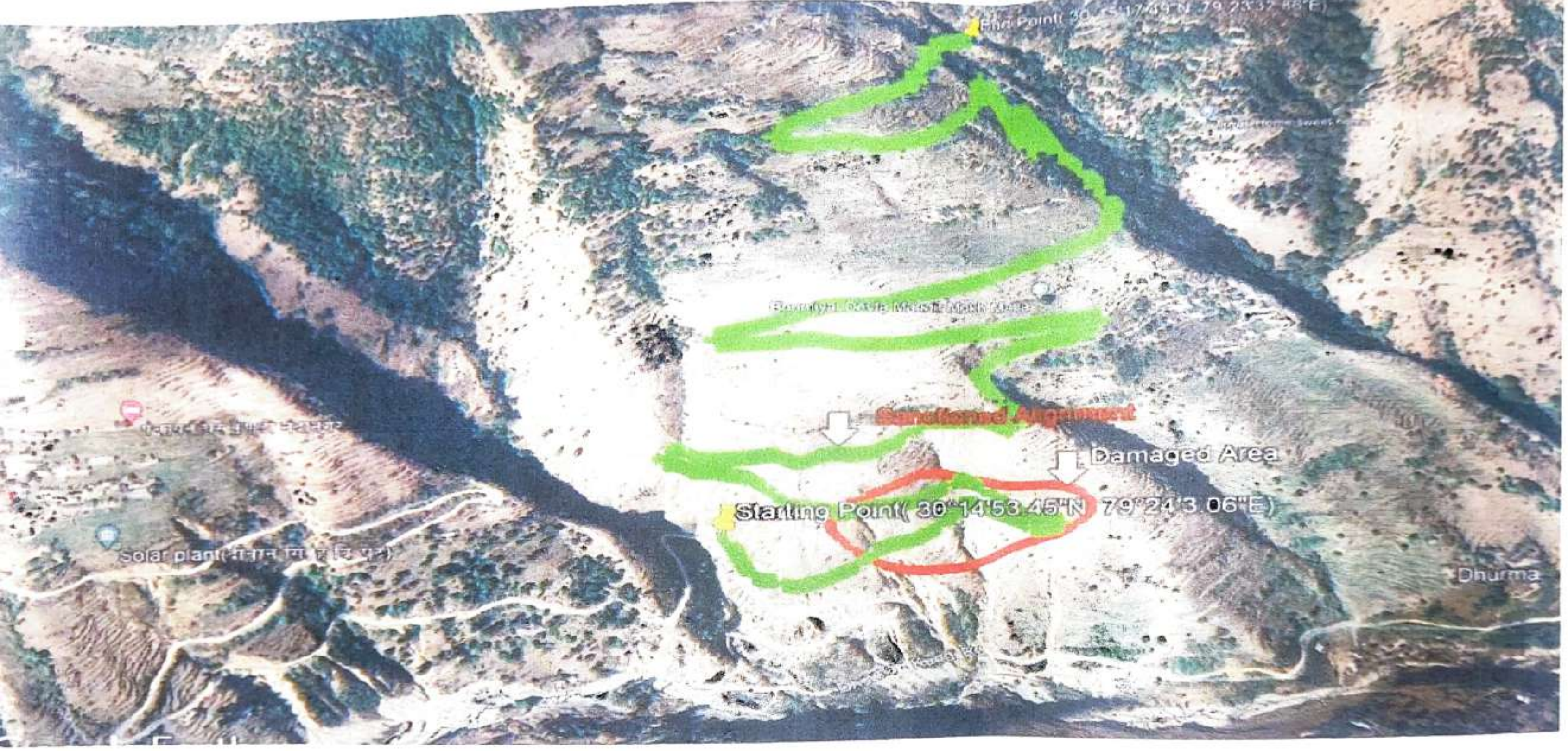

- Sanctioned Alignment of Road

- Damaged Area

Manager
WORKS
PCC Ltd. Chamoli (U.K.)

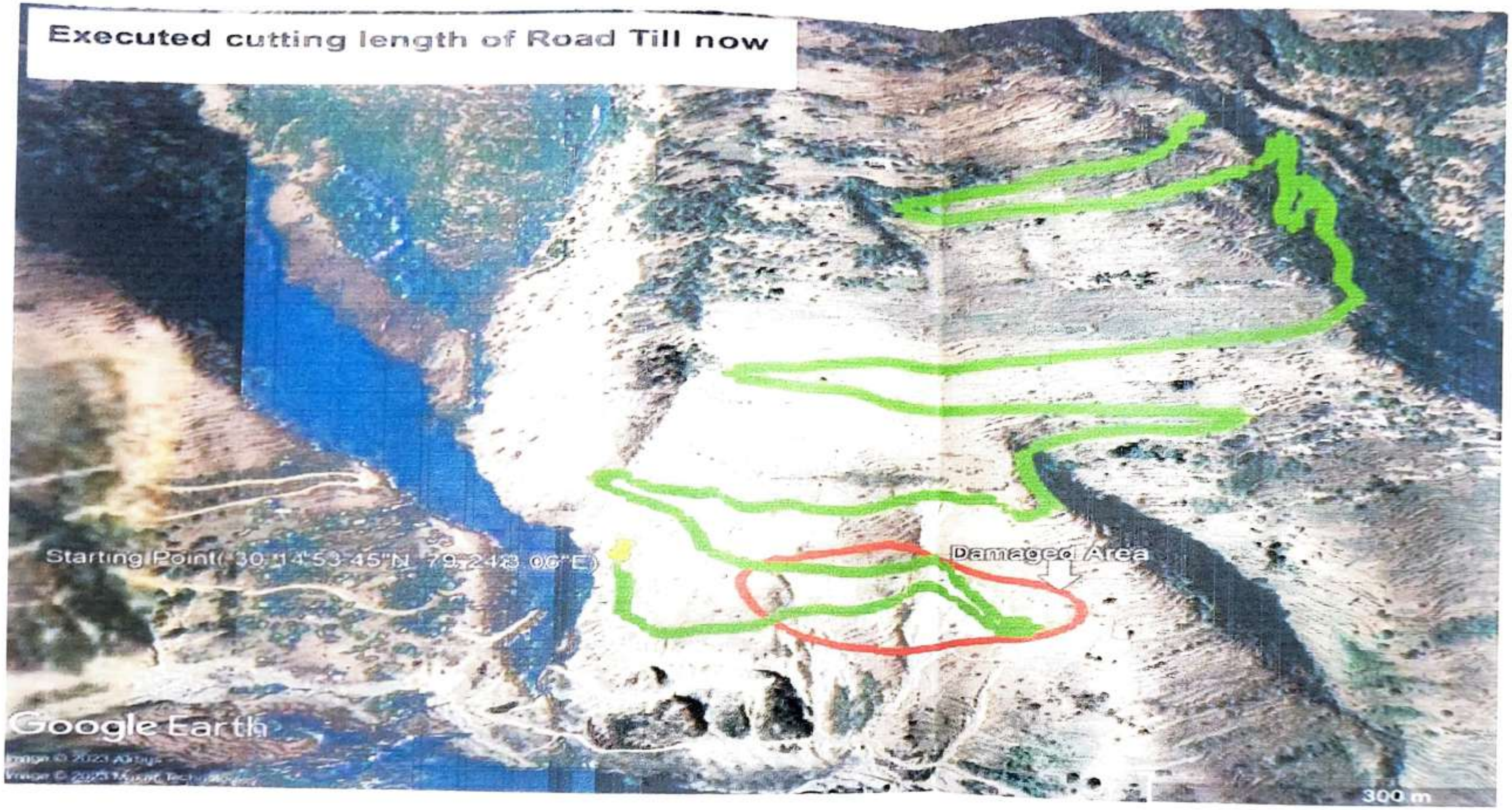

Hill side cutting of Road Till now

J.E

लैंड शेड्यूल

परियोजना का नाम : जनपद चमोली में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत धुरमा कुंडी किलोमीटर 2 से मोखमल्ला सड़क के पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.724 है० वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में

सिविल सोयम,वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैंड शेड्यूल के लिए (राजस्व विभाग) / जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक / ग्राम	खसरा सं0	कुल रकबा वर्ग मीटर	याचित क्षेत्रफल (हे 0)
चमोली	घाट	ग्राम मोख्मल्ला			0.39
		ग्राम कुण्डी			0.24
		मक डिस्पोजल क्षेत्रफल			0.094
		कुल योग			0.724

अमीन
एन पी सी सी

कनिष्ठ अभियंता
एन पी सी सी

प्रबंधक
एन पी सी सी

देवेन्द्र लाल
रा0 उ0 नि0
पटवारी क्षेत्र मौल
घाट

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी (सदर,
चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

नक्शा - ग्राम कुंडी-चक्र धुर्मा [illegible] - मोटर
तहसील- नन्दानगर (घाट)
जिला — चमोली
उत्तराखण्ड

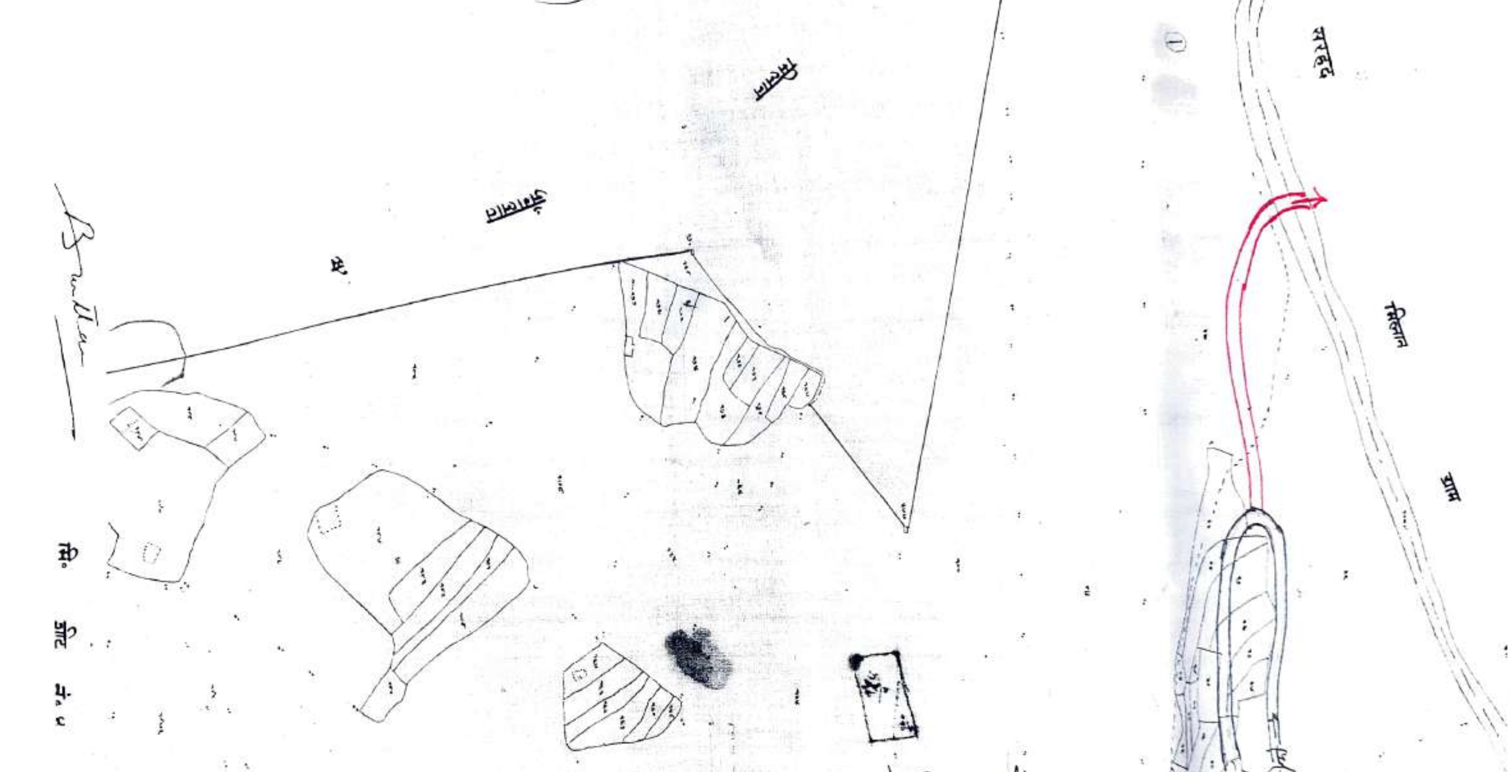

संकेत - ① प्रस्तावित मोटर मार्ग लाल सुर्ख रंग से दर्शाया है।
② ग्राम कुंडी-चक्र धुर्मा की [illegible] 440 मीटर लम्बाई ली गई है।

H.P.C.C.

J.E.

Manager

देवेन्द्र लाल
रा0 उ0 नि0 मौल
तहसील घाट

N/9

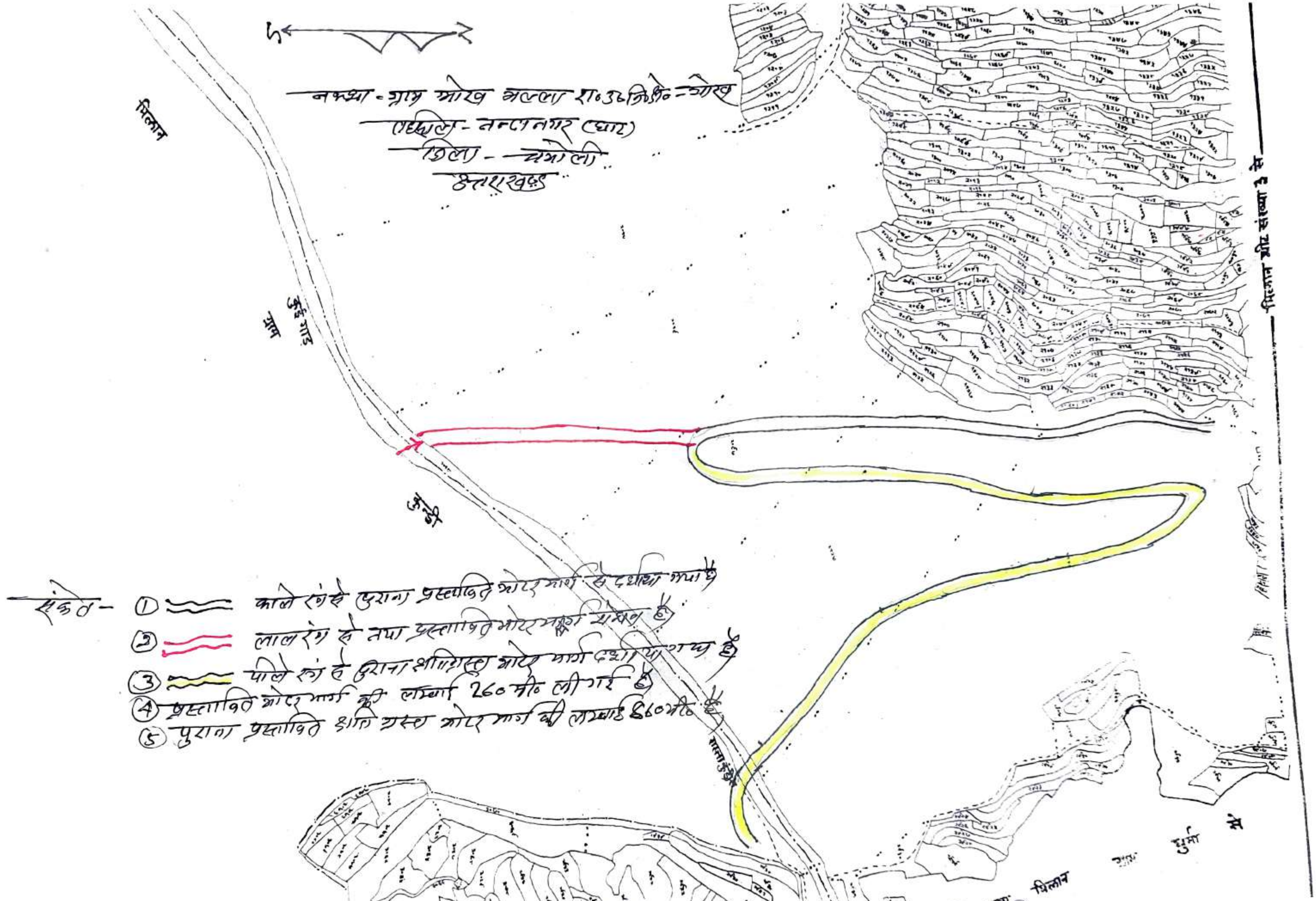

अवर अभियन्ता

Manager

रा० उ० नि० मोख
तहसील घाट

H.P.C.C

गाँव क्रमाक :57070700201		गाँव का नाम :मोख मल्ला			भाग : 1	खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार				
खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रेफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
					1373	1570	0.09300	0.00000		
					1373	2246	3.14500	0.00000		
					1373	2247	0.44100	0.00000		
					1373	2249	0.03000	0.00000		
					1373	2253	3.00100	0.00000		
					1373	2485	0.01800	0.00000		
					1373	2487	0.01500	0.00000		
					1373	2490	0.02800	0.00000		
					1373	2581	0.02100	0.00000		
					1373	2856	0.04300	0.00000		
					1373	2859	0.02000	0.00000		
					1373	3044	0.19300	0.00000		
			कुल खातेदार : 1		कुल गाटे : 46	क्षेत्रेफल (हे०) : 23.83900				

गाँव क्रमाक :57070700201		गाँव का नाम :मोख मल्ला			भाग : 1	खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार				
खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रेफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
श्रेणी 9(3) ग - स्थाई पशुचर भूमि एवं चराई की दूसरी भूमियां										
00005	गौचर चरागाह	*000*	मोखमल्ला	1	1373	994	1.52300	0.00000	ग्राम मोख मल्ला के खसरा न0 2978 में रकवा 0.014 है तथा खसरा न0	

गाँव क्रमाक :57070700201 | गाँव का नाम :मोख मल्ला | भाग : 1 | खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
									2979 रकवा 0.006 है0 भूमि मकान निर्माण हेतू छपेल पुत्र खण्तडू के नाम दर्ज किया	
					1373	1023	2.18100	0.00000		
					1373	1079	1.25600	0.00000		
					1373	2017	2.90300	0.00000		
					1373	2019	2.25100	0.00000		
					1373	1146	12.44500	0.00000		
					1373	2252	19.97300	0.00000		
					1373	2930	0.06800	0.00000		
					1373	2937	0.17600	0.00000		
					1373	2978	1.56600	0.00000		
					1373	2979	0.94400	0.00000 BP		
					1373	2980	0.20100	0.00000		
					1373	2986	0.03500	0.00000		
					1373	2987	0.03300	0.00000		
					1373	3019	0.53400	0.00000		
		कुल खातेदार : 1			कुल गाटे : 15	क्षत्रेफल (हे०) : 46.08900				

गाँव क्रमाक :57070700201 | गाँव का नाम :मोख मल्ला | भाग : 1 | खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी	खातेदार का नाम	पिता/पति	निवास	हिस्सा	भौमिक	प्रत्येक	प्रत्येक गाटा का	खातेदार द्वारा देय	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका	टिप्पणी

गाँव क्रमाक :57070700201 गाँव का नाम :मोख मल्ला भाग : 1 खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रेफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
श्रेणी10(4) - खाते के बाहर की अन्य कारणों से अकृषिक भूमि										
00018	चटटान	उ0 ख0 स0	मोख मल्ला	1	1373	36	1.18600	0.00000		
					1373	198	1.54100	0.00000		
					1373	499	6.68600	0.00000		
					1373	2097	1.62900	0.00000		
					1373	3031	2.11900	0.00000		
					1373	3046	0.15300	0.00000		

कुल खातेदार : 1 कुल गाटे : 6 क्षेत्रेफल (हे०) : 13.31400

गाँव क्रमाक :57070700201 गाँव का नाम :मोख मल्ला भाग : 1 खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रेफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
श्रेणी10(4) - खाते के बाहर की अन्य कारणों से अकृषिक भूमि										
00019	भीटा	उ0 ख0 स0	मोख मल्ला	1	1373	542	0.00800	0.00000	नोट- खसरा नम्बर 2019 रकबा 2.2510 एवं खसरा नम्बर 2097 रकबा 1.6290 है0 में से मार्ग अवधि 0.091 है0 मार्ग धुर्गाकोट से मोख मल्ला मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित	
					1373	550	0.08300	0.00000		
					1373	559	0.02300	0.00000		
					1373	633	0.06100	0.00000		
					1373	638	0.02100	0.00000		
					1373	664	0.25900	0.00000		

देवेन्द्र लाल
रा0 उ0 नि0 गौरेत
तहसील थराली

गाँव क्रमाक :57070700200		गाँव का नाम :कुण्डी			भाग : 1	खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार				
खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षत्रेफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
					1373	1717	0.31500	0.00000		
					1373	1718	0.96600	0.00000		
					1373	1804	0.46500	0.00000		
					1373	1900	1.69100	0.00000		
					1373	1841	12.71800	0.00000		

कुल खातेदार : 1 कुल गाटे : 11 क्षत्रेफल (हे०) : 20.48600

गाँव क्रमाक :57070700200		गाँव का नाम :कुण्डी			भाग : 1	खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार				
खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षत्रेफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
श्रेणी 9(3) ख (2) - ऐसी भूमि जिसमे अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाडियों के समूह हो										
00004	झाडी	000	कुण्डी	1	1373	1	2.23700	0.00000	मु0 आ0 श्री0 उपा0 महो0 चमोली के आ0सं0 657 /81-82 दि0 9-9-82 के अनुसार ख0 न0 154 म0 0.050हें0 25पै0 दर्ज भूमि निमितीकरण योजना के अन्दर वलवन्त सिंह पु0 गुमान सिंह के नाम दर्ज किया	
					1373	15	0.55700	0.00000	मु0 आ0 नया0 सं0 515 सन 70/71 दि0 7/12/70 के अनुसार भागचन्द्र सिंह पु0 स्वारिया सिंह के नाम ख0 न0 100 मध्ये0 .020हे0 तथा ख0 न0 154 मध्ये 0.080हे0 कुल 0.100 हे0 भूमि 1रू0 9 पैसा लगान पर स्वी0	

गाँव क्रमाक :57070700200 गाँव का नाम :कुण्डी भाग : 1 खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
					1373	16	0.06600	0.00000	मु0 आ0 श्री0 उपा0 महोदय के आदेशानुसार खेत न0 185 म0 0.105हे0 भूमि निमितीकरण के अर्न्तगत हुकम सिंह पु0 सराद सिंह के नाम स्वी0	
					1373	37	0.82500	0.00000	मु0 आ0 श्री0 उपा0 महोदय चमोली के आ0 सं0 656/81-82 दि0 9-9/82 के अनुसार ख0 न0 195 मध्ये 0.053हे0 भूमि 25 पैसा रकमी निमिती करण के अन्तरगत कुताल सिंह पु0 गुलाब सिंह के नाम स्वी0	
					1373	44	0.29100	0.00000	मु0 आ0 श्रीमान उपा0महोदय के आ0 ख0न0 1859 मध्ये 0.105हे0 भूमि निमितीकरण के अन्तरगत हुकम सिंह पु0 सराद सिंह के नाम स्वी0	
					1373	61	0.20900	0.00000	मु0 आ0 श्रीमान उपा0 महोदय चमोली के निमितीकरण सं0 1294/85-86 के खसरा न0 1975 मध्ये 0.010हे0 भूमि रघुबीर सिंह पु0 फते सिंह के नाम स्वी0	
					1373	87	2.01900	0.00000		
					1373	100	2.08700	0.00000		
					1373	154	1.85600	0.00000		
					1373	165	0.64200	0.00000		
					1373	166	0.16800	0.00000		

गाँव क्रमाक :57070700200 गाँव का नाम :कुण्डी भाग : 1 खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
					1373	1899	1.70500	0.00000		
					1373	1926	1.12100	0.00000		

कुल खातेदार : 1 कुल गाटे : 38 **क्षेत्रफल (हे०) : 16.32600**

गाँव क्रमाक :57070700200 गाँव का नाम :कुण्डी भाग : 1 खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
श्रेणी10(4) - खाते के बाहर की अन्य कारणों से अकृषिक भूमि										
00014	चटटान	000	कुण्डी	1	1373	36	1.50000	0.00000		
					1373	38	0.16500	0.00000		

कुल खातेदार : 1 कुल गाटे : 2 **क्षेत्रफल (हे०) : 1.66500**

गाँव क्रमाक :57070700200 गाँव का नाम :कुण्डी भाग : 1 खेवट का नाम:उत्तराखण्ड सरकार

खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति /संरक्षक का नाम	निवास स्थान	हिस्सा	भौमिक आधिकार	प्रत्येक गाटा संख्या	प्रत्येक गाटा का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बंधित आज्ञा या उसका सारांश	टिप्पणी
श्रेणी10(4) - खाते के बाहर की अन्य कारणों से अकृषिक भूमि										
00015	दरिया बुर्द	000	कुण्डी	1	1373	1336	0.03400	0.00000		
					1373	1344	0.01800	0.00000		
					1373	1385	0.02000	0.00000		
					1373	1684	0.02000	0.00000		

कुल खातेदार : 1 कुल गाटे : 4 **क्षेत्रफल (हे०) : 0.09200**

कुल खाते : 15 कुल खातेदार : 15 कुल गाटे : 254 क्षेत्रफल (हे०) : 102.13900

नोट खसरा नम्बर 36 रकबा 1.500 है० एवं खसरा नम्बर 37 रकबा 0.8250 है० मद्ये 0.154 है० भूमि चर्जा कुण्डी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित है

देवेन्द्र लाल
रा० उ० नि०
तहसील [illegible]

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घुर्मा—कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 है0 का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के आदेश सं0 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः—

1— ईको क्लास श्रेणी— V

2— हरियाली का घनत्व— 0.3 (Open Forest)

3— एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रू0— 6,57,000.00

4— आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— 3.275 है0

5— कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि— रू0 21,51,675.00

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रारूप 6

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 18/10/2023 को पी एम जी एस वाई, एन पी सी सी नंदप्रयाग द्वारा जनपद चमोली थराली विधानसभा के विकासखंड घाट में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत धुरमा कुंडी किलोमीटर 2 से मोखमल्ला सड़क के पूर्व में स्वीकृत संरेखण में विगत वर्षाकाल के दौरान मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने कारण पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री नरेन्द्र तोमक्याल प्रबंधक, श्री प्रदीप गुसाईं, कनिष्ठ अभियन्ता, वन विभाग की ओर से श्री संजय सिंह नेगी एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र मडवाल एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि श्री राजेश तिवारी प्रधान मोख, शोवन सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य की उपस्थिति पुनरीक्षित संरेखण का निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक, पारिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता एवं तकनीकी की दृष्टि से जो पुनरीक्षित संरेखण उपयुक्त पाया गया उसमे 700 मीटर वन पंचायत भूमि प्रभावित होगी एवं उक्त संरेखण हेतु 0.63 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0 .094 अर्थात कुल 0.724 हे० वन पंचायत भूमि प्रभावित होगी। अतः कुल 0.724 हे० वन पंचायत भूमि की आवश्यकता होगी।

इस पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग के निर्माण से विभिन्न प्रजाति के कुल 36 पेड़ प्रभावित होंगे तथा उक्त संरेखण के निर्धारण से पूर्व क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों की सहमती ली गयी है।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक अवं उपयुक्त वन भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गए संरेखण में वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित संरेखण वन भूमि के____कक्ष से गुजरेगा/ में स्थित है एवं इन कक्षों का वर्तमान वन अच्छादन___है। चुने गए पुनरीक्षित संरेखण का प्रारंभिक बिंदु का GPS LOCATION 30.24665 79.39990 है जो पूर्व निर्मित धुर्मा कुण्डी के कि मी3 मे प्रारंभ होता है एवं अंतिम बिंदु मोखमल्ला ग्राम में स्थित है जिसका GPS लोकेशन 30.248124, 79.399765

है। चुने गए संरेखण के GPS LOCATION के बीच के बिन्दुओं का GPS LOCATION 30.24727, 79.399629, 30.246640, 79.398907, 30.247774, 79.399428 है।

उक्त पुनरीक्षित संरेखण/ स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

उक्त पुनरीक्षित संरेखण/स्थल के चयन से ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं होगा। उक्त संरेखण में निर्माण कार्य के दौरान मलवा उत्सर्जित होगा जिसके निस्तारण के लिए योजनानुसार डंपिंग जोन संरेखण में एक स्थल उपयुक्त पाया गया है।

हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेंसी

हस्ताक्षर
राजस्व विभाग

हस्ताक्षर
वन विभाग

हस्ताक्षर
अन्य प्रतिनिधि

उप जिलाधिकारी (सदर)
चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : जनपद चमोली में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत धुरमा कुंडी किलोमीटर 2 से मोखमल्ला सड़क के पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.63 है० वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में

पुनरीक्षित संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित वन पंचायत भूमि / सिविल भूमि की लम्बाई 700 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.63 हे० है एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.094 हे० है -

भूमि का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	याचित क्षेत्रफल (हे 0)
वन पंचायत भूमि	700	9.00	0.63
मक डिस्पोजल हेतु			0.094
कुल योग			0.724

J.E

अमीन
एन पी सी सी

कनिष्ठ अभियंता
एन पी सी सी

प्रबंधक
एन पी सी सी

देवेन्द्र लाल
रा० उ० नि० मोहल
तहसील घाट

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

उप जिलाधिकारी (सदर)
चमोली

प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा कुण्डी किमी 02 से मोख मल्ला मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू०सी०पी0/06/111/2019 एफ०सी०/884 (भारत सरकार) दिनाँक 07/08/2020 को कतिपय शर्तो के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी।

शर्त संख्या 4 क) के अनुपालना में स्वीकृति अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ सी दिनांक 05.02.2009 में उल्लखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र के शुद्धा वर्तमान मूल्य की धनराशि ऑनलाइन जनरेट चालन के अनुसार रुपये 21,51,675.00 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या 4 ख) के अनुपालना विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जाएगा।

J-E

भवदीय

18/12/2023

प्रबंधक

पी0 आई0 यू0

एन0 पी0 सी0 सी0 लिमिटेड

PMGSY WORKS NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)

नकल ज० वि० र० खतौनी ग्राम कुण्डी रा० उ० नि० क्षेत्र गोरख तहसील घाट जिला चमोली

श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि को

1	2	3	4	5	6	7
13	बीरा		351	0.083		
			355	0.029		
			x x	x x		
			x x	x x		
			1595	5.035		
			1600	0.421		
			1601	0.133		
			1612	0.678		
			1621	0.284		
			x x	x x		
			x x	x x		
			1876	0.0115		
			1899	1.705		
			1926	1.121		
		योग	38	17.288		

नकल खतौनी असल के मुताबिक

(एम० एस० बिष्ट)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...गोरख.......
तहसील ~~चमोली~~ घाट
जनपद-चमोली

C.S.

नकल खसरा 1426 फ० से 1430 फसली तक

ग्राम कुण्डी स० उ० नि० क्षेत्र मोख तहसील घाट जिला चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1595	5.035	13	उ० ख० सरकार														का/21	5.035		
1600	0.421	13	उ० ख० सरकार														का/21	0.421		
1601	0.133	13	उ० ख० सरकार														का/10	0.133		
1612	0.678	13	उ० ख० सरकार														का/27	0.678		
1621	0.284	13	उ० ख० सरकार														का/21	0.284		
	.551																			

नकल खसरा असल से तैयार किया ख०न० 1595 रकबा 5.035 है० ख०न० 1600 रकबा 0.421 है० ख०न० 1601 रकबा 0.133 ख०न० 1612 रकबा 0.678 है० ख०न० 1621 रकबा 0.284 है० कुल 6.551 है० राठ मोख मल्ला मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षति पूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित है।

(एम० एस० बिष्ट)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....मोख......
तहसील घाट
जनपद-चमोली

C.S.

तहसीलदार (C)
(सदर)
चमोली

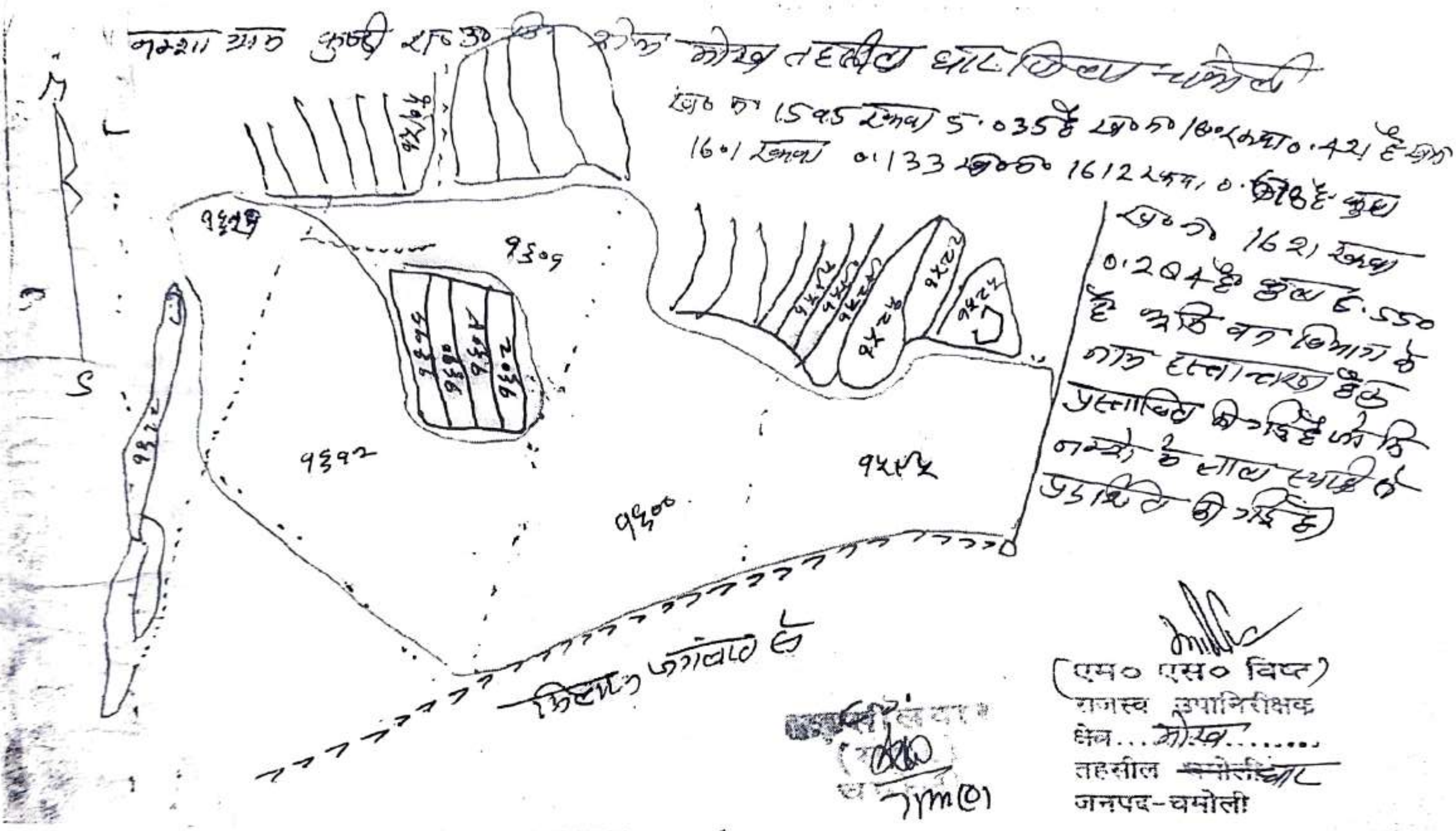

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम - जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.275 हे० वन भूमि का लो. नि. वि . हस्तांतरण

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग वन भूमि हस्तांतरण के लिए ग्राम कुण्डी रा ० उ० नि० क्षे० मोख तहसील घाट जिला चमोली में खसरा नंबर 1595 रकबा 5.035 हे०, खसरा नंबर 1600 रकबा .421 हे०, खसरा नंबर 1601 रकबा .133 हे०,खसरा नंबर 1612 रकबा .678 हे०,खसरा नंबर 1621 रकबा .284 हे० कुल रकबा 6.551 हे० जो कि श्रेणी 10(4) भीटा में अंकित है , के अंतर्गत सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित कि गयी है वह क्षतिपूरक वृक्षारोषण हेतु उपयुक्त है |

कनिष्ठा अभियंता

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Works
Karanprayag (Chamoli)

राजस्व उप निरीक्षक
पटवारी क्षेत्र...मोख
पटवारी क्षेत्र...घाट
जिला--चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार
घाट (चमोली)

उप जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
नंदप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डी

प्रधान
रघुवीर सिंह
मो०:-8958650607

विकास खण्ड घाट जनपद-चमोली

निवास
ग्राम-कुण्डी पो०-घाट वि०ख०-घाट
जिला- चमोली (उत्तराखण्ड)

पत्रांक- मै/मे

दिनांक 27/04/2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 27/04/2023 को ग्राम पंचायत कुण्डी मे कुण्डी कुण्डी मोल्टामल्ला मोटर मार्ग के सन्दर्भ मे बैठक आहुत की गयी. जिसमे कि सर्व सहमति से समस्त ग्राम पंचायत कुण्डी द्वारा ग्राम पंचायत कुण्डी के गेरा बैंड नामक तोक से ग्राम सभा मोल्टामल्ला के लिए नये मोटर मार्ग के लिए (REALLIAMENT) हेतु सभी ग्राम वासियो द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया.

समस्त ग्रामवासी

शासन ... मंत्री
बी.डी.सी.
क्षेत्र पंचायत सदस्य
विकास खण्ड घाट (चमोली)

प्रधान पंचायत कुण्डी
विकास खण्ड घाट चमोली
ह० ... दि० 27/04/2023

सरपंच वन पंचायत कुण्डी
ह० ... दि० 27/04/2023

1. देवेन्द्र सिंह — [signature]
2. विजयसिंह बिष्ट — विजयसिंह
3. केशर सिंह बिष्ट — [signature]
4. कन्या सिंह — MB
5. कमल सिंह बिष्ट — [signature]
6. पुष्कर सिंह — [signature]
7. दियान सिंह — [signature]
8. प्रेम सिंह — प्रेमसिंह
9. विरेन्द्र सिंह
10. देवसिंह — देवसिंह

[signature]
हिमेश — [signature]
जगदीश सिंह — [signature]
... सिंह — [signature]
... सिंह
मनोहरी देवी — [signature]

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office, UP Zone, Dehradun

Ref. No. NPCC/PMGSY/230

Date:. 29/07/2022

सेवा में,
नायब तहसीलदार महोदय
ब्लॉक-घाट, तहसील- चमोली
जनपद- चमोली

विषय: जनपद चमोली के अंतर्गत घाट ब्लॉक में पीएमजीएसवाई के तहत होने वाले मोटर मार्ग में अतिवृष्टि के कारण भारी क्षति के संबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 20/07/2022 एवं 28/07/222 को अतिवृष्टि एवं उसके बाद भी निरंतर रूप से वर्षा के कारण के कारण निम्नलिखित मोटर मार्ग को भारी पहुंची है।

क्र.सं	मार्ग का नाम	ब्लॉक	मोटर मार्ग में हुई क्षति का विवरण
1	नंदप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के कि.मी. 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग	घाट	दिनांक 20/07/2022 एवं 28/07/2022 को अतिवृष्टि एवं उसके बाद भी निरंतर रूप से वर्षा के कारण मोटर मार्ग के पहले किलोमीटर एवं दूसरे किलोमीटर में मोटर मार्ग 0/4-0/5, 0/10-0/17, 0/23-0/24,0/26-0/28, 0/30-0/31 वाशआउट हो गया है, एवं स्टेज-II के ठेकेदार द्वारा बिछाया गया GSB, Grade-II एवं Grade-III की लेयर भी अधिकांश भाग में क्षतिग्रस्त हो गई है। अधिकांश हेयर पिन बैंड क्षतिग्रस्त हो गये हैं, मोटर मार्ग में जगह जगह पर मलबा आ गया है एवं मोटर मार्ग में वाशआउट भाग पर लगी कुछ दीवारें एवं स्कपर भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्षतिग्रस्त दीवारों, स्कपर एवं वाश आउट भाग, GSB, Grade-II एवं Grade-III भाग के सुधारीकरण हेतु आगणन गठित किया जाएगा।
2	धुरमाकुंडी किलोमीटर 2 से मोखमल्ला मोटर मार्ग	घाट	दिनांक 20/07/2022 एवं 28/07/2022 को अतिवृष्टि एवं उसके बाद भी निरंतर रूप से वर्षा के कारण मोटर मार्ग के पहले किलोमीटर एवं दूसरे किलोमीटर में मोटर मार्ग कुछ स्थानों पर वाशआउट हो गया है, एवं स्टेज-II के ठेकेदार द्वारा बिछाया गया GSB, Grade-II एवं Grade-III की लेयर भी अधिकांश भाग में क्षतिग्रस्त हो गई है। मोटर मार्ग में जगह जगह पर मलबा आ गया है अधिकांश हेयर पिन बैंड क्षतिग्रस्त हो गये हैं, एवं मोटर मार्ग में वाशआउट भाग पर लगी कुछ दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और मलबा लोगों के खेतों में भी जा रहा है। क्षतिग्रस्त दीवारों, वाश आउट भाग, GSB, Grade-II एवं Grade-III भाग के सुधारीकरण हेतु आगणन गठित किया जाएगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग में संयुक्त निरीक्षण हेतु संबंधितों को निर्देशित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
प्रबंधक
एन पी सी सी
उत्तर प्रदेश जोन

2) जिलाधिकारी महोदय, जिला चमोली, गोपेश्वर- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3) उप जिलाधिकारी महोदय, जिला चमोली, गोपेश्वर- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4) सीनियर मैनेजर , उत्तराखंड ऑफिस, उत्तर प्रदेश जोन, एन पी सी सी लिमिटेड- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

Scanned by CamScanner

दिनांक 17.11.2022 को तहसील सभागार चमोली में संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में अभियंत्रण विभागों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थिति :–

1. श्री धीरज सिंह राणा तहसीलदार चमोली।
2. श्री सचिन अशोक, सहायक अभियंता, प्रा०ख० लो०नि०वि०, गोपेश्वर।
3. श्री शिवम रावत, सहायक अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई० पोखरी।
4. श्री नरेश कुमार, सहायक अभियंता, प्रा०ख० लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।
5. श्री सिकन्दर कुमार, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, चमोली।
6. श्री के०एल० भारती, वन क्षेत्राधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।
7. श्री पृथ्वी सिंह, वन क्षेत्राधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग।
8. श्री यशबीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, जल संस्थान घाट।
9. श्री संदीप मेहरा, कनिष्ठ अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर।
10. श्री एन०एस० राणा, कनिष्ठ अभियंता, लघु सिचाई, गोपेश्वर।
11. श्री सुधीर चन्द्र एवं श्री कुलदीप रमोला, कनिष्ठ अभियंता, पीएमजीएसवाई खण्ड कर्णप्रयाग।
12. श्री कमल किशोर सिंह, स०ख०वि०अ० दशोली।
13. श्री विजय प्रसाद पुराहित, स०ख०वि०अ० नन्दानगर।
14. श्री प्रकाश चन्द्र मैखुरी, स०ख०वि०अ०, कर्णप्रयाग।
15. समस्त राजस्व उप निरीक्षक, तहसील चमोली/नंदप्रयाग/घाट।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सूक्ष्म परिचय कराया गया तथा परगना चमोली अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा दैवीय आपदा अन्तर्गत गतिमान/पूर्ण किये गये कार्यों एवं नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों के संबंध में निम्नानुसार समीक्षा की गयी :–

1. **प्रा०ख०, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर :–**

बैठक के दौरान सहायक अभियंता, प्रा०ख० लो०नि०वि० गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा के अतर्गत 21 प्राक्कलन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किये गये, जिनमें 5 प्राक्कलन स्वीकृत हुए हैं तथा परगना चमोली अन्तर्गत प्रा०ख० लो०नि०वि० गोपेश्वर के नियंत्रणाधीन सभी मोटर मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू है, किसी भी मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं है। **अधिशासी अभियंता, प्रा०ख०, लो०नि०वि० गोपेश्वर** से अपेक्षा की जाती है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें तथा आपके विभागीय नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को 24X7 समय वाहनों की आवाजाही/यातायात हेतु सुचारू रखें। पीपलकोटी–गुनियाला मोटर मार्ग के संबंध में चर्चा की गयी। उक्त मोटर मार्ग जगह–जगह पर क्षतिग्रस्त है, जिसके संबंध में सहायक अभियंता प्रा०ख० लो०नि०वि० गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग प्रा०ख० लो०नि०वि० गोपेश्वर के स्वामित्व में नहीं है तथा न ही शासन स्तर से उक्त मोटर मार्ग के हस्तांतरण संबंधी आदेश निर्गत हैं, उक्त मोटर मार्ग का निर्माण टीएचडीसी परियोजना पीपलकोटी द्वारा किया गया है। **महाप्रबंधक, टीएचडीसी परियोजना पीपलकोटी** से अपेक्षा की जाती है कि टीएचडीसी द्वारा निर्मित पीपलकोटी–गुनियाला मोटर मार्ग को वाहनों की आवाजाही/यातायात हेतु 24X7 समय सुचारू रखा जाए तथा उक्त मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्थलों का मरम्मत/सुधारीकरण कार्य किया जाए।

(कार्यवाही/– अधिशासी अभियंता, प्रा०ख० लो०नि०वि० गोपेश्वर/महाप्रबंधक, टीएचडीसी परियोजना पीपलकोटी)

2. **पीएमजीएसवाई खण्ड पोखरी :–**

बैठक में उपस्थित पीएमजीएसवाई खण्ड पोखरी के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा अंतर्गत 23 प्राक्कलन तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत 10 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिन सभी में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। परगना चमोली अन्तर्गत पीएमजीएसवाई खण्ड पोखरी के नियंत्रणाधीन सभी मोटर मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू है, किसी भी मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं है। परगना चमोली अन्तर्गत अपर चमोली–खैनुरी मोटर मार्ग के संबंध में स्थानीय व्यक्तियों/ग्रामवासियों द्वारा उक्त मार्ग को आवागमन हेतु ठीक किये जाने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है, जिस पर चर्चा की गयी, उक्त मोटर मार्ग कुल 9.6 किमी० का है, जो कि कि०मी० 1.00– में चैनेज 0.060 पर स्थित स्कपर तथा दीवार क्षतिग्रस्त है तथा किमी० 0.900 से किमी० 0.950 के मध्य मार्ग वासआउट होने से पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 2.00 में किमी० 1.075 से किमी० 1.100 पर 40मी० भाग में पी०सी० पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 3.00 में किमी० 2.025 से किमी० 2.400 तक मार्ग भूस्खलन से पूर्णतया ध्वस्त हो गया है तथा किमी० 2.850 से किमी० 2.950 तक मार्ग भूस्खलन तथा मार्ग पर

अत्यधिक मलवा आने से क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 4.00 में किमी0 3.025 से किमी0 3.175 तक मार्ग अत्यधिक मलवा आने से क्षतिग्रस्त है, किमी0 3.525 से किमी0 3.800 तक पी0सी0 पूर्णतया क्षतिग्रस्त है तथा किमी0 3.800 से किमी0 4.000 तक में नया भूस्खलन क्षेत्र विकसित हो गया है जिससे उक्त भाग में मार्ग की स्थिरता को खतरा बन गया है। मार्ग के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण सम्भावना है। कि०मी० 5.00 में किमी0 4.175 से किमी0 4.400 में मार्ग मलवा आने से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 6.00 में किमी0 5.025 से किमी0 5.125 में भूस्खलन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे पी0सी0 को पूर्ण क्षति हुई है, उक्त भाग के ठीक उपर मार्ग की अगली आर्म पडती है। किमी0 5.750 से किमी0 5.800 में अत्यधिक भूस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 7.00–किमी0 6.425 से किमी0 6.525 में पी0सी0 क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 8.00 में किमी0 7.775 से किमी0 8.000 में पी0सी0 भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 9.00 में किमी0 8.525 से किमी0 8.700 तक व किमी 8.950 से किमी0 9.00 तक में पी0सी0 पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। कि०मी० 10.00 में किमी0 किमी0 9.225 से किमी0 9.450 तक में मोटर मार्ग की पी0सी0 मलवा तथा बोल्डर्स आने से पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। उक्त मोटर मार्ग को आवागमन हेतु ठीक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार निजमूला–गौणा–पाणा–ईराणी मार्ग के संबंध में चर्चा की गयी, उक्त मोटर मार्ग कुल 20 किमी0 का है, जो कि किमी0 2.100 पर 100 मीटर क्षतिग्रस्त है, किमी0 2.900 पर 50 मीटर क्षतिग्रस्त है, किमी0 14.750 पर 50 मीटर क्षतिग्रस्त है, किमी0 16.150 पर 25 मीटर क्षतिग्रस्त है तथा किमी0 16.400 पर 100 मीटर क्षतिग्रस्त है। उक्त मोटर मार्ग पर ईराणी गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल एवं मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित पुल का समरेखण समान होने के कारण पैदल पुल को तोड़ कर इससे 100 मीटर ऊपर वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया था, जो कि बरसात में बह गया है, जिसके स्थान पर लकड़ी का पुल का निर्मित किया गया है, किन्तु मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन हेतु पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण ईराणी गांव हेतु वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। उक्त मोटर पर क्षतिगस्त स्थानों/गड्ढों को तत्काल ठीक किया जाना एवं ईराणी गांव तक वाहनों की आवाजाही हेतु पुल का निर्माण किया जाना तत्काल आवश्यक है। इसी प्रकार छिनका–बौला मोटर मार्ग भी जगह–जगह पर क्षतिग्रस्त है, जिसे आवागमन हेतु तत्काल ठीक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। **अधिशासी अधिकारी** पीएमजीएसवाई **पोखरी** से अपेक्षा की जाती है कि तात्कालिक/वैकल्पिक समाधान हेतु उक्त मोटर मार्गों पर क्षतिग्रस्त भाग एवं गड्ढों को तत्काल भरकर ठीक कर लिया जाए, ताकि मोटर मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू हो सके तथा मार्ग पर इस कारण दुर्घटना होने की संभावना से भी बचा जा सके तथा मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों/स्थानों पर स्थाई समाधान अर्थात मार्ग मरम्मत/सुधारीकरण/सुरक्षात्मक कार्य हेतु विस्तृत आंगणन तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए तथा स्वीकृति उपरांत क्षतिग्रस्त स्थलों पर तत्काल मरम्मत/सुधारीकरण/सुरक्षात्मक कार्य किये जाए तथा आपके विभागीय नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को 24X7 समय वाहनों की आवाजाही/यातायात हेतु सुचारू रखें एवं इस निमित्त आवश्यक मशीनों/संसाधनों को कार्यशील स्थिति में रखें।

(कार्य0/–अधिशासी अभिंयता, पीएमजीएसवाई खण्ड पोखरी)

3. लोक निर्माण विभाग, प्रा0ख0 कर्णप्रयागः–

बैठक में लो0नि0वि0, प्रा0ख0 गोपेश्वर के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा अंतर्गत 22 प्राक्कलन जिला स्तर पर प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 3 प्राक्कलनों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत 10 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिन सभी में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। परगना चमोली अन्तर्गत प्रा0ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग के नियंत्रणाधीन सभी मोटर मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू है, किसी भी मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं है। लो0नि0वि0, प्रा0ख0 कर्णप्रयाग के अधीन घाट–सुतोल मोटर मार्ग एवं धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के संबंध में चर्चा की गयी। घाट–सुतोल मोटर का पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जिसमें जगह–जगह पर खड्डे/क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग अवरूद्ध पाया गया, जिसके संबंध में उपस्थित कनिष्ठ अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग पर खड्डे/क्षतिग्रस्त स्थलों को वैकल्पिक रूप से ठीक करवा लिया गया है तथा वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पर आवागमन सुचारू है एवं धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग भी वर्तमान में वाहनों के आवागमन हेतु सुचारू है। **अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग** से अपेक्षा की जाती है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें तथा आपके विभागीय नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को 24X7 समय वाहनों की आवाजाही/यातायात हेतु सुचारू रखें।

(कार्य0/–अधिशासी अभिंयता, लोक निर्माण विभाग, प्रा0ख0 कर्णप्रयाग)

4. पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग–2

बैठक में पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग–2 के कनिष्ठ अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा अंतर्गत 35 प्राक्कलन जिला स्तर पर प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 3 प्राक्कलनों को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें अनुबंध की प्रक्रिया गतिमान है। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत 17 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिन सभी में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग–2 के उपस्थित कनिष्ठ अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड नन्दानगर(घाट) तहसील घाट के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग–2 के अधीन 13 मोटर मार्ग हैं, सभी मोटर मार्ग यातायात हेतु वर्तमान

उपास्थात :-

में पूर्ण रूप से खुले कुरूड़–माणखी के संबंध में चर्चा की गयी, जो कि कुल 04 किमी0 का है के 02 किमी में 40 मीटर भाग वॉश आउट हो गया है। वॉश आउट भाग के अन्दर कटिंग कर उक्त मोटर मार्ग को हल्के वाहनों हेतु खोला गया है तथा उक्त के संबंध में आगणन तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति उपरांत क्षतिग्रस्त बिन्दु पर स्थायी नव निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। छुरागाड़–कनोल मोटर मार्ग के संबंध में चर्चा की गयी, जिसका पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जो कि निर्माणाधीन है। उक्त निर्माणाधीन मोटर मार्ग को तत्काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है, ताकि उक्त मोटर मार्ग पर आवागमन सुचारू हो सके। बैठक में श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 हयात सिंह निवासी ग्राम गण्डासू तहसील नंदप्रयाग के प्रकरण पर चर्चा की गयी, जिसके अनुसार नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के किमी–11 से गण्डासू मोटर मार्ग निर्माण में प्रार्थिनी के आवास, चौक, शौचालय एवं रसोई को क्षति हुई थी, जिसका पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग 2 द्वारा 07.94 लाख की क्षति आंकलित कर मुआवजा तैयार किया गया था, जो कि प्रार्थिनी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके संबंध में बैठक में उपस्थित पीएमजीएसवाई कर्णपयाग–2 के कनिष्ठ अभियंता द्वारा अधिशासी अभियंता से दूरभाष पर वार्ता/अनुमोदन उपरांत प्रार्थिनी को मुआवजे की पूर्ण धनराशि 07.94 लाख भुगतान किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी। **अधिशासी अभियंता**, पीएमजीएसवाई **कर्णप्रयाग–2** से अपेक्षा की जाती है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें तथा आपके विभागीय नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को 24X7 समय वाहनों की आवाजाही/यातायात हेतु सुचारू रखें तथा उच्च स्तर से धनराशि स्वीकृत होने के उपरांत मोटर मार्ग के मरम्मत/सुधारीकरण/निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 हयात सिंह निवासी ग्राम गण्डासू तहसील नंदप्रयाग की सम्पत्ति को हुई क्षति के संबंध में नियमानुसार उचित मुआवजा प्रार्थिनी को वितरित किया जाए।

(कार्य0–अधि0अभि0, पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग–2)

5. एनपीसीसी नंदप्रयागः–

बैठक में एनपीसीसी नंदप्रयाग के अधीन धुर्मा–कुण्डी–मोख मल्ला व नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के किमी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग के संबंध में चर्चा की गयी। धुर्मा–कुण्डी–मोख मल्ला मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 05 किमी है, उक्त मोटर मार्ग किमी 01 में वर्षाकाल में दैवीय आपदा के कारण लगभग 400 मीटर वॉशआउट है। किमी 02 में 50 मीटर भाग वॉश आउट है। नन्दप्रयाग घाट किमी 15 से जाखणी मोटर मार्ग कुल 4.325 किमी0 है, जो कि किमी 01 में 50 मीटर वॉश आउट है तथा किमी 02 में 03 स्थानों पर 25 से 30 मीटर तक वॉशआउट है। उक्त दोनो मोटर मार्गों के वॉशआउट भाग के अन्दर कटिंग किया जाना संभव नहीं, क्यों कि स्थल स्लाइडिंग जोन होने के कारण कटिंग किये जाने से उक्त मोटर मार्गो की ऊपरी आर्म को क्षति पहुंचेगी, जिस कारण उक्त दोनो मोटर मार्गों पर वर्तमान में यातायात सुचारू नहीं है। उक्त दोनों मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य गतिमान है, उक्त मोटर मार्ग पर आवागमन सुचारू न होने के कारण स्थानीय व्यक्तियों/ग्रामवासियों को अत्यंत असुविधा हो रही है। उक्त मोटर मार्ग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 01 प्राक्कलन तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया है। जनसुविधा के दृष्टिगत उक्त मोटर मार्गों पर तत्काल मरम्मत/सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। **परियोजना प्रबंधक, एनपीसीसी नंदप्रयाग** से अपेक्षा की जाती है कि उक्त मोटर मार्गों पर तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु सुचारू कराया जाए। वॉशआउट/क्षतिग्रस्त भाग पर नव निर्माण/सुरक्षात्मक कार्य किये जाने हेतु विस्तृत आगणन तैयार कर उच्च स्तर पर तत्काल प्रेषित किया जाए तथा धनराशि स्वीकृत होने के उपरांत तत्काल क्षतिग्रस्त बिन्दु पर स्थायी नव निर्माण/सुरक्षात्मक कार्य प्रारंभ किया जाए तथा आपके विभागीय नियंत्रणाधीन मोटर मार्गो को 24X7 समय वाहनों की आवाजाही/यातायात हेतु सुचारू रखें।

(कार्य0– परियोजना प्रबंधक, एनपीसीसी नंदप्रयाग)

6. सिचाई खण्ड चमोलीः–

बैठक में सिचाई खण्ड चमोली के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा के अतर्गत 13 प्राक्कलन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किये गये, जिनमें 4 प्राक्कलन स्वीकृत हुए है, जिसमें सभी स्वीकृत प्राक्कलनों के क्रम में स्थल पर निर्माण कार्य प्रांरभ कर दिया गया था। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत 9 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिन सभी में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड चमोली** से अपेक्षा की जाती है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें।

(कार्य0–अधि0अभि0, सिंचाई विभाग, चमोली)

7. लघु सिचाई खण्ड चमोलीः–

बैठक में सिचाई खण्ड चमोली के कनिष्ठ अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा के अतर्गत 32 प्राक्कलन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किये गये, जिनमें 4 प्राक्कलन स्वीकृत हुए है, जिसमें सभी स्वीकृत प्राक्कलनों के क्रम में स्थल पर निर्माण कार्य प्रांरभ कर दिया गया

था। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत 9 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिन सभी में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। **अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड चमोली** से अपेक्षा की जाती है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें।

(कार्य0–अधि0अभि0,लघु सिंचाई विभाग, चमोली)

8. जल संस्थान गोपेश्वर–चमोली :–

बैठक में जल संस्थान गोपेश्वर–चमोली के कनिष्ठ अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा के अंतर्गत गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत 28 प्राक्कलन प्रेषित किये गये, जिसमें 11 प्राक्कलन स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत 28 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिसमें 27 प्राक्कलनों पर स्थल पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1 प्राक्कलन पर स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान है। इसी प्रकार घाट क्षेत्रान्तर्गत 32 प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिसमें तहसील स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत घाट क्षेत्रान्तर्गत 35 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिसमें 30 प्राक्कलनों पर स्थल पर कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 5 प्राक्कलनों पर स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान है। तहसील घाट में पीने का जल स्वच्छ न होने के संबंध में चर्चा की गयी, तहसील घाट में पेयजल के आपूर्ति टैंकों में फिल्टर न होने के कारण तहसील घाट क्षेत्रान्तर्गत दूषित/अस्वच्छ पेयजल की आपूति हो रही है। जनहित/जनसुरक्षा के दृष्टिगत स्वच्छ पेयजल की आपूति किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तहसीलदार चमोली को निर्देशित किया जाता है कि तहसील स्तर पर गतिमान प्राक्कलनों का शीघ्र सत्यापन पर सत्यापन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर–चमोली से अपेक्षा की जाती है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें तथा तहसील घाट अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायें।

(कार्य0– अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर–चमोली/तहसीलदार चमोली)

9. विकासखण्ड दशोली/नन्दानगर/कर्णप्रयागः–

बैठक के दौरान सहायक खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड दशोली द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय आपदा के अंतर्गत विकासखण्ड दशोली अन्तर्गत 07 प्राक्कलन स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में विकास खण्ड दशोली अन्तर्गत 88 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिसमें 61 प्राक्कलनों पर स्थल पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 27 प्राक्कलन पर स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान है। इसी प्रकार विकासखण्ड नन्दानगर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 13 प्राक्कलन स्वीकुत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत 48 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिसमें 47 प्राक्कलनों पर स्थल पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1 प्राक्कलन पर स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान है। 32 प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिसमें तहसील स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दैवीय आपदा अन्तर्गत घाट क्षेत्रान्तर्गत 35 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिसमें 30 प्राक्कलनों पर स्थल पर कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 5 प्राक्कलनों पर स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान है। इसी प्रकार विकासखण्ड कर्णप्रयाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दैवीय अपदा के अन्तर्गत कोई प्राक्कलन प्रेषित नहीं किया गया है। गत वर्ष 2021–22 में विकास खण्ड कर्णप्रयाग अन्तर्गत 02 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिनमें स्थल पर कार्य पूर्ण हो चुका हैं। खण्ड विकास अधिकारी दशोली/नन्दानगर/कर्णप्रयाग को निर्देशित किया जाता है कि दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार क्षतिग्रस्त स्थलों पर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक/निर्माण कार्य प्रारंभ करायें।

(कार्य0– खण्ड विकास अधिकारी, दशोली/नन्दानगर/कर्णप्रयाग)

10. वन विभागः–

बैठक के दौरान वन क्षेत्राधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 2022–23 में दैवीय आपदा अन्तर्गत 05 प्राक्कलन स्वीकृत हुए हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गत वित्तीय वर्ष में कोई भी प्राक्कलन प्रेषित नहीं किया गया था। इसी प्रकार केदारनाथ वन प्रभाग अंतर्गत दैवीय आपदा अन्तर्गत 2022–23 में 1 प्राक्कलन तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया है, जिस पर स्वीकृति आतिथि तक प्राप्त नहीं हुई है। गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2 प्राक्कलन स्वीकृत हुए थे, जिस पर स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बैठक के दौरान सैंचुरी जोन एवं ईको सेंस्टिव जोन के संबंध में भी चर्चा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बद्रीनाथ/केदारनाथ से अपेक्षा की जाती है सैंचुरी जोन/ईको सेस्टिव जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों/सीमा के संबंध में गाईडलाईन तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें एवं दैवीय आपदा के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार स्थल पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करायें।

(कार्य0– प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बद्रीनाथ/केदारनाथ)

इसके अतिरिक्त उपरोक्त समस्त अभियंत्रण विभागों के उपस्थित प्रतिनिधि/अभियंताओं से अपेक्षा की गयी कि दैवीय आपदा के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले ऐसे सम्स्त आगणन/प्राक्कलन, में संबंधित कार्यदायी संस्था के सत्यापन अधिकारी द्वारा लोकेशन प्रदर्शित फोटोग्राफ अवश्यमेव संलग्न किया जाए तथा

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा भी उक्त स्थल के सत्यापन के दौरान लोकेशन प्रदर्शित फोटोग्राफ संलग्न किया गया जाए।

(कार्य0— तहसीलदार/नायब तहसीलदार चमोली/नंदप्रयाग/घाट एवं उपरोक्त समस्त अभियंत्रण विभाग)

बैठक के अन्त में उपस्थित अभियंता/कार्मिकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये उक्तानुसार सौपें गये दायित्वों के अनुसार अवरूद्ध मोटर मार्गों को तत्काल खोले जाने व इस निमित्त आवश्यक संसाधन 24X7 समय क्रियाशील स्थिति में रखे जाने एवं ससमय आगणन उच्च स्तर को प्रेषित किये जाने अपेक्षा की गयी और तत्पश्चात बैठक का समापन्न किया गया।

डा0 (दीपक सैनी)आई.ए.एस.
संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी(सदर),
चमोली।

कार्यालय उप जिलाधिकारी(सदर) चमोली।

संख्याः 85 /एस0पी0ए0/स0बै0दै0आ0/कार्यवृत्त/2022 दिनॉकः चमोली : 25 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. जिलाधिकारी महोदय चमोली।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग बद्रीनाथ/केदारनाथ।
3. महाप्रबंधक, टीएचडीसी परियोजना पीपलकोटी।
4. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
5. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग।
6. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान गोपेश्वर—चमोली।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई/लघु सिचाई खण्ड चमोली।
8. अधिशासी अभियंता, पीएमजीएवाई पोखरी/कर्णप्रयाग—2।
9. तहसीलदार चमोली/नायब तहसीलदार नंदप्रयाग/घाट।
10. परियोजना प्रबंधक, एनपीसीसी नंदप्रयाग।
11. खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड दशोली/नंदानगर/कर्णप्रयाग।
12. समस्त राजस्व उप निरीक्षक, तहसील चमोली/नंदप्रयाग/घाट।

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी(सदर),
चमोली।

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय जिलाधिकारी , चमोली

फोन नम्बर– 01372–252102
–252176
E mail id – dm-cha-ua@nic.in
oc.co.chamoli@gmail.com

भ्रमण तिथि परिवर्तन सूचना

संख्या 219 / नौ– भ्रमण (जि0अ0) – 2022 गोपेश्वर : दिनांक : 02 अगस्त 2022

1. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट , चमोली
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी , चमोली
3. जिला विकास अधिकारी , चमोली
4. अधिशासी अभियन्ता , प्रान्तीय खण्ड , लोनिवि , कर्णप्रयाग
5. अधिशासी अभियन्ता , उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम , गोपेश्वर
6. अधिशासी अभियन्ता , उत्तराखण्ड जल संस्थान , गोपेश्वर
7. परियोजना प्रबन्धक , एनपीसीसी , कर्णप्रयाग
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी , चमोली
9. जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) चमोली
10. तहसीलदार , घाट
11. जिला सूचना अधिकारी , चमोली
12. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी , चमोली

कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–212 / नौ–भ्रमण (जि0अ0)–2022 दिनांक 30.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके अनुसार दिनांक 06.08.2022 को ग्राम मोखमल्ला विकास खण्ड नन्दानगर के भ्रमण की सूचना प्रेषित की गयी है ।

उक्त के कम में अवगत करना है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत ग्राम मोखमल्ला का भ्रमण अब **दिनांक 06.08.2022 के स्थान पर दिनांक 13.08.2022 को किया जायेगा ।**

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अब आप दिनांक **13.08.2022 को पूर्वाह्न** 11.00 **बजे स्थान** मौके में अपने विभाग से सम्बन्धित अद्यतन सूचनाओं के साथ स्वयं उपस्थित रहने का कष्ट करें ताकि तदनुसार भ्रमण एव निरीक्षण कार्य सम्पन्न हो सके ।

(हिमांशु खुराना)
जिला अधिकारी ,
चमोली

02/08/2022

Block	Unconnected Habitations as per Core Network: Habitation Name with Population	Census Code	Habitation Code	As per Core Network Alignment: Name of Road with Road No	Length (Km)	Modified Alignment: Name of Proposed Road	Approx Length (Km)
1	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]-Malari motor road [illegible]	[illegible]	[illegible] Motor Road	[illegible]
Dewal	Devsari (638)	165600	268	Gwaldam-Nandkesri Motor Road (L030)	1.00	Nandkeshri-Gwaldam Motor Road Km 01 to Devsari Motor Road	9.00
Karanprayag	Siran (583)	00117600	10	Delhi-Rishikesh Badrinath Mana Motor Road 101 (NH 58)	37.00	Chattyala (chatwa pipal) to Siran Motor Road	7.00
Ghat	Lakhee (1359)	00101400	351	Ghat to Tharali Motor Road L035	16.50	Ustoli to Sarpani Lakhee Motor Road	8.00
Ghat	Sarpani (302)	00101000	347				
Ghat	Syari (1102)	00102100	358			Ghat Tharali Motor Road KM 13 to Syari Motor Road	3.00
Ghat	Jakhni (645)	00095500	273	Nandprayag Ghat Motor Road T01(ODR)	9.00	Nandprayag Ghat Motor Road KM 15 to Jakhni Motor Road	4.50
Joshimath	Tangni Malli (325)	23600	325	Delhi-Gaziabad-Haridwar-Joshimath-Mana motor road 102(NH 58)	83.00	Tangani Talli to Tangani Malli Motor Road	3.00
Gairsain	Kolani (305)	193400	138	Bungidhar Mehalchauri-Bachuwaban Motor Road (T01) ODR	54.50	Kot-Lambager motor Road (L027) Km 04 to Kolani Motor Road	[illegible]
Ghat	Mokh Malla (612)	00102100	341	Sera Ashid to Narayan Bhagar, L037	5.00	Dhuma Kundi Motor Road KM 2 to Mokh Malla Motor Road	5.00
Bhilangana	Kot (278)	00291800	150	Ghansli-Panwali-Akhori Motor Road L022	38.35	Ghansli-Panwali-Akhori Rd. KM 16 to Kot Motor road	8.00
Bhilangana	Kothar (405)	00277200	134	Ghansali-Ghutto Motor Road L040	31.30	Ghansali-Ghutto- Rd. KM. 14 to Kothar Motor Road.	3.00
Bhilangana	Dyunj (269)	00275300	67			Ghansali-Ghuttu Rd. KM. 30 to Dyung Motor Road.	2.50
Bhilangana	Vema (279)	00272800	267			Ghansali-Ghuttu Rd. KM 26 to Veena Motor Road.	6.00
Thauldhar	Gajmer (452)	412500	55	Chamba-Dharasu Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Chamba-Uttarkashi Motor Road Km 72.00 (Piple Mandi) to Gajmer	5.00
[illegible]	[illegible] (274)	00286800	260	Chamba-Dharasu Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Ghansali-Tilwara MR to [illegible] Motor road	[illegible]
[illegible]	[illegible] (405)	[illegible]	115	Raipur - Kumalda to Kaddu Khal Motor Road 102 (ODR)	64.28	R.K.K. Motor Road Km [illegible] to [illegible] Motor Road	[illegible]
[illegible]	[illegible] (474)	[illegible]	151			R.K.K. Motor Road Km 55.00 to Satyol M[illegible] Road	7.00

महत्त्वपूर्ण

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 56|० /पी3–14(II.b)/यू.आर.आर.डी.ए./18 | दिनांक: 31 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या की बसावटें, जो कोर नेटवर्क में त्रुटिवश संयोजित दर्शायी गयी है, किन्तु वास्तव में धरातलीय स्तर पर असंयोजित है, ऐसी 93 चिन्हित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार 86 मोटर मार्ग, अनुमानित लम्बाई 529.31 किमी0 की सूची तैयार की गयी है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरेंखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन0आर0आर0डी0ए0, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी0पी0आर0 गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। डी0पी0आर0 गठित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का समरेंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप हो, यदि समरेंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप नहीं है, तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा0 सांसद महोदय से समरेंखण का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समरेंखण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव Geo-Tagged Photographs & .kml file तत्काल उपलब्ध कराते हुए डी0पी0आर0 गठित की जायें। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कुमाऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

Scanned by CamScanner

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित
ISO 9001:2008 CERTIFIED

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
National Rural Roads Development Agency
(Ministry of Rural Development, Govt. of India)
5th Floor, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

Dr. I.K. Paleriya
Director (Technical)
Tel No: 26179557
Fax No: 26179555
Email: ik.paleriya@nic.in

LR# NRRDA-P012(14)/1/2018-(Tech)

Date: 28.06.18

References:
1. Letter No. 113 (A)/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 19.04.2018
2. Email dated 16.05.2018
3. Letter no. 490/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 26.05.2018
4. Letter No. 594/P-19(CN Correction)/URRDA/18 dated 04.06.2018

Sir,

This has reference to letters as detailed in references requesting to sanction the roads in order to provide connectivity to 93 habitations which were wrongly shown as connected and also wrongly located during the preparation of Core Network.

2. In this regard, State has submitted Geo-tagged photographs and .kml file for the roads. The same has been verified and the observations of NRRDA have been communicated to State. The State has submitted compliance on the observations of NRRDA and requested to issue necessary permission to correct the connectivity status of those 113 habitations from 'Connected' to 'Unconnected' in CN and OMMAS as well and also requested permission to prepare and submit the DPRs for connecting those 113 habitations under PMGSY.

3. In view of the above, I am directed to inform that with the approval of competent authority the request of the state has been agreed to. You are requested to get the approval from the Gram Panchayat, Zilla Panchayat and SLSC for such revisions in due course and a copy of the same should be shared with NRRDA/MoRD.

4. Further state is requested to update the Core Network DATA on Maps as well as on OMMAS and also upload the proposals on OMMAS.

This if for information and further necessary action at your end.

Thanking You,

Yours sincerely,

(I.K. Paleriya)

Shri K.K. Srivastava,
Chief Engineer, PMGSY
URRDA, Ist Floor, Directorate of Panchayati Raj,
Opp. I. T. Park, Sahastra Dhara Road, Dehradun,
UTTARAKHAND

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
54	Tharali	UT03117	Tharali-Kukrar MR to Gunad Laga Gerud, L035	II	3.000	180.16	2.31	2.29	4.70	2.37	8.0[illegible]	[illegible]
55	Tharali	UT03118	Tharali to Paingadh, L022	II	11.725	697.02	8.42	7.31	17.28	7.00	29.93	[illegible]
56	Dewal	UT03122	Choting to Udaypurlagachotri, L033	II	11.800	686.84	7.18	6.90	16.77	6.50	29.69	6
57	Dewal	UT03123	Bauragarh-Chaur M.R. Km 3 to Kothiyara, L032	II	3.250	168.02	1.84	1.83	4.77	1.89	8.49	1
58	Dewal	UT03475	Dewal to Kheta M/R Km 10 to Mopata, L034	II	5.100	306.73	3.12	2.85	7.23	2.86	13.16	2
59	Dewal	UT03170	Tharali Dewal Mundali (T01) Km 17 to Tajpur Laga Kandai, L035	II	5.000	300.78	3.09	2.68	7.02	2.60	12.64	2[illegible]
60	Ghat	UT03155	Chooragaad to Sutol Kanol, L033	II	11.600	652.49	8.78	8.61	16.84	7.95	17.70	5[illegible]
61	Ghat	UT03555	Nandprayag-Ghat Motor Road Km 15 to Jakhni, L046	II	4.325	234.01	3.28	3.21	6.28	2.96	6.60	2[illegible]
62	Ghat	UT03152	Dhuma-Kundi M.R. Km 2 to Mokh Malla, L047	II	5.000	265.45	3.79	3.71	7.26	3.42	7.63	25
63	Ghat	UT0372	Ghat-Tharali Motor Road Km 10 to Syari, L045	II	1.875	93.46	1.42	1.39	2.72	1.29	2.86	9
64	Ghat	UT03101	Ustoli to Sarpani-Lakhee, L044	II	6.875	359.28	5.21	5.10	9.98	4.71	10.49	35
65	Pokhari	UT3256	Kalsir to Nail Nauli, L032	II	10.225	644.03	7.71	7.57	14.81	6.97	15.57	52
66	Joshimath	UT03251	Tapovan-Reengi M.R. to Subhai (Bhavishyabadri), L032	II	14.250	853.63	14.23	14.15	27.24	13.66	29.27	98
67	Joshimath	UT03252	Tangani Talli to Tangani Malli, L033	II	4.650	257.70	4.64	4.62	8.89	4.46	9.55	32
68	Gairsain	UT-03-23	48M. Span Steel Girder Bridge at Km 1 of Bungidhar-Mehalchauri-Bachuwabaan MR Km 12 to Kolani MR, L050	Bridge	-	338.61	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	11
69	Gairsain	UT-03-24	30M. Span Steel Girder Bridge at Km 3 of Devaldhar (Diwagad) to Kandarikhor, L026	Bridge	-	265.11	1.60	1.60	1.60	1.60	1.61	8.
70	Gairsain	UT-03-25	30M. Span Steel Girder Bridge at Km 7 of Bungidhaar Mehalchauri - Bachuwaban Motor Road Km 42 to Devpuri, L053	Bridge	-	248.47	1.60	1.60	1.60	1.60	1.61	8.
71	Gairsain	UT-03-26	48M. Span Steel Girder Bridge at Km 7 of Bungidhaar Mehalchauri - Bachuwaban Motor Road Km 42 to Devpuri, L053	Bridge	-	322.22	2.33	2.33	2.33	2.33	2.35	11
72	Gairsain	UT-03-27	24M. Span Steel Girder Bridge at Km 4 of Bungidhaar Mehalchauri - Bachuwaban Motor Road Km 42 to Devpuri, L053	Bridge	-	197.21	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	6.
73	Gairsain	UT-03-28	36M. Span Steel Girder Bridge at Km 1 of Bakarya Band to Chhimta, L038	Bridge		351.09	1.88	1.88	1.88	1.88	1.90	9
74	Gairsain	UT-03-29	36M. Span Steel Girder Bridge at Km 1 of Jangalchatti to Sirana, L039	Bridge	-	248.56	1.88	1.88	1.88	1.88	1.90	9.
75	Gairsain	UT-03-30	24M. Span Steel Girder Bridge at Km 1 of Dewaldhar to Kalchunda, L025	Bridge	-	156.89	1.32	1.32	1.32	1.31	1.32	6

Chief Engineer
U.R.R.D.A.

Chief Executive Officer
U.R.R.D.A.

Addl. Chief Secretary
Rural Development

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
चमोली एवं रूद्रप्रयाग

सेवा में,

प्रबन्धक,
एन पी सी सी
उत्तराखण्ड कार्यालय, यू0पी0 जोन
देहरादून।

पत्रांक : 261 / भू0खनि0वि0 / मोटर मार्ग–5 / 2023–24 दिनांक 6 जुलाई 2023

विषय : **पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत कि0मी0 02 से मोख मल्ला मोटर रोड पर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या NPCC/PMGSY/37 दिनांक 26.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत कि0मी0 01 मे कि.मी. 0.00 से 0.900 के मध्य लगभग 250–300 मीटर मोटर मार्ग पूर्ण रूप से वाश आउट होने के कारण व वाश आउट भाग का मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कर मोटर मार्ग का उपयोग मे लाना सम्भव नही होने के कारण उक्त समरेखण का भूवैज्ञानिक निरीक्षण किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम मे प्रस्तावित मोटर मार्ग क्षेत्र का क्षेत्रीय निरीक्षण श्री नरेन्द्र तोकियाल, सहायक अभियंता, एन पी सी सी, कर्णप्रयाग की उपस्थिति मे किया गया, जिसकी क्षेत्रीय भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

सन्दर्भित मोटर मार्ग समरेखण नन्दप्रयाग–नन्दानगर (घाट) मोटर मार्ग पर स्थित सेरा नामक स्थान से सेरा–कुण्डी–मोख मोटर मार्ग पर सेरा से लगभग 03 कि0मी0 की दूरी पर मोक्ष नदी के बांये ऊपरी पहाडी ढाल पर स्थित है। सन्दर्भित समरेखण लगभग उत्तर–दक्षिण विस्तारित पहाडी पर स्थित है, जिसका पहाडी ढाल लगभग 40^0 पूरबवत् है। उक्त समरेखण के आधार भाग पर उत्तर दिशा मे प्रवाहित मोक्ष नदी स्थित है, जहां समरेखण भाग से पूरबवत् दिशा मे प्रवाहित 02 प्राकृतिक पहाडी नालियां विकसित है, जिनके मध्य लगभग 15 मीटर की दूरी है। मोक्ष नदी के बांये भाग पर निर्माणाधीन मोटर मार्ग कटान पर बायोटाईट शिष्ट तथा हल्के स्लेटी तथा हरे स्लेटी रंग की क्वार्टजाईट चट्टान अवस्थित है, जिनकी विस्तार की दिशा उत्तर 20^0 पश्चिम व नति 30^0 उत्तर पूरबवत् तथा लगभग उत्तर–दक्षिण व नति 20^0 पूरबवत् है। उक्त भाग मे पहाडी के ढाल की दिशा चट्टानों के ढाल की दिशा के समानान्तर है। उक्त चट्टानों के ऊपर मृदा आवरण क्षेत्र मे वर्णित मोटर मार्ग कटान तथा इसके ऊपरी व निचले ढाल पर मृदा स्खलन / भूस्खलन विकसित पाया गया। निरीक्षण के दौरान पहाडी ढाल पर विभिन्न कन्टूर लेवल पर कन्टूर के समानान्तर दरार व इसके सापेक्ष भूधंसाव पाया गया। उक्त वर्णित क्षेत्र एक भूस्खलन के रूप मे विकसित है, जहां विभिन्न स्तरों पर दरार व धंसाव होने की स्थिति मे उक्त दरार व धंसाव मे विस्तार होने पर इनके आपस मे मिलने तथा एक बडे भूस्खलन क्षेत्र के रूप मे विकसित होने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य मे वर्णित समरेखण भाग भूगर्भीय दृष्टिकोण से स्थिर व उपयुक्त प्रतीत नही होता है।

आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय,

उप निदेशक / भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग / चमोली।

पृष्ठांक: / भू0खनि0वि0 / मोटर मार्ग–5 / 2023–24, तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, भोपालपानी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उप निदेशक / भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग / चमोली।

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग

सेवा में,

प्रबन्धक,
एन पी सी सी
उत्तराखण्ड कार्यालय, गू0पी0 जोन
देहरादून।

पत्रांक : 148 जि0टा0फो0च0 / मोटर मार्ग–3 / 2023–24 दिनांक 22 मई 2023

विषय : पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत कि0मी0 02 से मोख मल्ला मोटर रोड पर भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या NPCC/PMGSY/24 दिनांक 15.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत कि0मी0 02 से मोख मल्ला मोटर रोड का पुराना समरेखण उपयुक्त न होने पर नये समरेखण के लिए सुझाव की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम मे प्रस्तावित मोटर मार्ग क्षेत्र का क्षेत्रीय निरीक्षण श्री नरेन्द्र तोकियाल, सहायक अभियंता, एन पी सी सी, कर्णप्रयाग, श्री रविन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता, एन पी सी सी, नन्दप्रयाग तथा श्री सोबन सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य, मोख की उपस्थिति मे किया गया। क्षेत्रीय भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान एन पी सी सी के प्रतिनिधियो द्वारा नवीन समरेखण कि0मी0 0.0 से कि0मी0 0.750 के भाग का नवीन समरेखण मानचित्र उपलब्ध कराया गया व उक्त नवीन समरेखण भाग का क्षेत्रीय भूगर्भीय निरीक्षण किये जाने का अनुरोध किया गया। नवीन समरेखण का 0.0 कि0मी0 दुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से प्रारम्भ होता है, जिसकी भौगोलिक स्थिति उत्तर 30°14'48.5'' व पूरब 79°23'59.48'' है। उक्त भाग मोक्ष नदी के दाए भाग मे ऊपरी पहाडी ढाल पर गीठा तोक के अन्तर्गत स्थित है। समरेखण भाग के लगभग मध्य भाग मे एक प्राकृतिक नाली स्थित है। कि0मी0 0.0 से उक्त प्राकृतिक नाली तक के भूभाग की पहाडी की दिशा उत्तर पूरब–दक्षिण पश्चिम है, जिसका पहाडी ढाल 40° से 45° उत्तर पश्चिमवत है। पहाडी ढाल पर क्लोरेटिक शिष्ट व सफेद क्वार्टजाईट चट्टानों के टुकडे अवस्थित है। उक्त भाग मे क्वार्टजाईट व शिष्ट चट्टान अन्तः संस्तरीय अवस्था मे विद्यमान है, जिनकी विस्तार की दिशा उत्तर 30° पश्चिम व नति 55° उत्तर पूरब व उत्तर–दक्षिण व नति 60° पूरबवत है। क्वार्टजाईट चट्टानों के मध्य पतले संस्तरों मे विद्यमान हरे क्लोरेटिक शिष्ट के कारण क्वार्टजाईट चट्टान प्लेटी संस्तरों मे अवस्थित है। समरेखण के मध्य भाग मे स्थित प्राकृतिक नाली से कि0मी0 0.750 की ओर प्राकृतिक नाली से लगभग 20 मीटर की दूरी पर सफेद क्वार्टजाईट चट्टानों की विस्तार की दिशा उत्तर 40° पश्चिम व नति 25° उत्तर पूरबवत है। इस भाग मे क्वार्टजाईट चट्टानों के मध्य क्लोरेटिक शिष्ट के संस्तर अपेक्षाकृत कम है। सफेद क्वार्टजाईट चट्टानों मे तीन दिशाओं मे संधितल विकसित है। उक्त नये प्रस्तावित समरेखण भाग कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.750 भाग मे स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान है, जिसके ऊपर क्लोरेटिक शिष्ट क्वार्टजाईट के टुकडे युक्त मृदा का आवरण है। उक्त समरेखण भाग से लगभग 100 मीटर निचले स्तर पर प्राकृतिक नाली के बांये भाग पर स्थित क्वार्टजाईट चट्टानों की विस्तार की दिशा उत्तर 30° पश्चिम व नति 65° उत्तर पूरब तथा दाहिने भाग पर स्थित चट्टानों के विस्तार की दिशा उत्तर 10° पश्चिम व नति 25° उत्तर पूरबवत् है। समरेखण भाग मे कुछ स्थानों पर चट्टानों के ढाल की दिशा पहाडी ढाल की दिशा के लगभग समानान्तर है। ऐसे भागों मे मोटर मार्ग की सुरक्षा हेतु विशेष सावधानियां / अभियांत्रिकी उपाय किये जाने होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान एन पी सी सी के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कि0मी0 0.750 के बाद उक्त समरेखण पूर्ववर्ती समरेखण भाग मे है।

सन्दर्भित मोख मल्ला मोटर मार्ग के वर्णित नवीन समरेखण कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.750 का निर्माण किये जाने के दौरान मोटर मार्ग तथा पहाडी ढाल की सुरक्षा हैतु निम्नलिखित सुरक्षात्मक अभियांत्रिकी उपाय किये जाने आवश्यक होगे :–

1. मोटर मार्ग निर्माण कार्य मे विस्फोटको का प्रयोग कदापि न किया जाय।
2. मोटर मार्ग कटान किये जाने के उपरान्त मार्ग क्षेत्र को लम्बी अवधि तक विना धारक दीवार निर्माण किये छोडे जाने पर ऊपरी व निचले भाग से मृदा स्लखन की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है। मोटर मार्ग कटान के साथ–साथ कटान किये गये भाग के ऊपरी व निचले पहाडी ढाल पर स्थल विशेष की भार ग्राह्य क्षमता के अनुसार धारक दीवार का निर्माण किया जाय।
3. वर्णित समरेखण भाग के मध्य स्थित प्राकृतिक नाली का उपचार किया जाय व इसमे अवरोध रहित जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाय।
4. कटान किये गये मोटर मार्ग के ऊपरी भाग पर पक्की नालियों का निर्माण कर एकत्रित जल का सुरक्षित निस्तारण क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर किया जाय।

उपरोक्त वर्णित सुरक्षात्मक सुझाव एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की दशा मे वर्णित समरेखण भाग प्राकृतिक आपदाओं को छोडकर भूगर्भीय दृष्टिकोंण से मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

अतः आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

उप निदेशक / भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग / चमोली।

पृष्ठांकः 148 / जि0टा0फो0च0 / रू0 / मोटर मार्ग–3 / 2022–23, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महादेय, चमोली।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(हस्ताक्षर)

उप निदेशक / भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग / चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाश: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884

दिनांक: 7/08/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 731/x-4-19/1(78)/2019 दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/38079/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद – चमोली** में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.551 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रक्बा 5.035 हे0 , 1600 रक्बा 0.421 हे0, 1601 रक्बा 0.133 हे0, 1612 रक्बा 0.678 हे0, 1621 रक्बा 0.284 हे0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.275 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 206 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan. Tree felling is not permitted in the muck disposal area and State Govt. will submit the list of trees separately, in muck disposal area.
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

I/28888/2023

अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष : 0135-2608125, फैक्स : 2608126,
ईमेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in,
urrda@yahoo.com.

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।

अधिशासी निदेशक,
वाप्कोस लि०, 76–सी,
सैक्टर–18, गुरूग्राम, हरियाणा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
एन०पी०सी०सी० लि०,
98–नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

महाप्रबन्धक (परियोजना),
ब्रिडकुल, माजरा,
सहारनपुर रोड, देहरादून।

जनरल मैनेजर (बी०डी०–एन०),
ब्रिज एण्ड रूफ कं० (इंडिया) लि०,
बी–22, दूसरी मंजिल, हिमालय
हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली।

विषयः **PMGSY-I&II के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को मार्च, 2024 तक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–P-17034/3/2015-RC (FMS-344707) दिनांक 08 जून, 2023।**

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से PMGSY-I & II के समस्त अवशेष कार्यों को अन्तिम रूप से मार्च, 2024 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके उपरान्त शेष बचे कार्यों पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

अतः आप सभी से अपेक्षा है कि PMGSY-I & II के समस्त अवशेष कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यों को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विस्तारित समयसीमा मार्च, 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें, जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक व्ययभार न आये।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवशेष कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्यों को पूर्ण करायें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवशेष कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने हेतु व्यक्तिगत संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यों को पूर्ण करायें।
6. समस्त परियोजना अभियन्ता, पी०एस०यू०, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवशेष कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने हेतु व्यक्तिगत संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यों को पूर्ण करायें। ।

Signed by Ravi Pratap Singh
Date: 20-07-2023 13:47:58

मुख्य अभियन्ता
यू०आर०आर०डी०ए०

Generated from eOffice by Narendra Tomar(CO-URRDA-NT), COMPUTER OPERATOR, DEPT URRDA on 21/07/2023 04:50 pm

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : जनपद चमोली में पी एम जी एस वाई के अंतर्गत धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज—I)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

कनिष्ठ अभियंता
एन पी सी सी

प्रबंधक
एन पी सी सी
PMGSY WORKS
NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।
E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 475 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 01/08 /2023

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्माकुण्डी किमी0 02 से मोखमल्ला मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0 लि0, कर्णप्रयाग की पत्र सं0 एनपीसीसी/पीएमजीएसवाई/220 दिनांक 30.074.2024.**

महोदय,

प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0 लि0, कर्णप्रयाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के संरेखण की संशोधित के0एम0एल0 फाईल की डिजिटल मैप इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, उक्त के0एम0एल0 फाईल की डिजिटल मैप संलग्न सहित आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0लि0, कर्णप्रयाग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

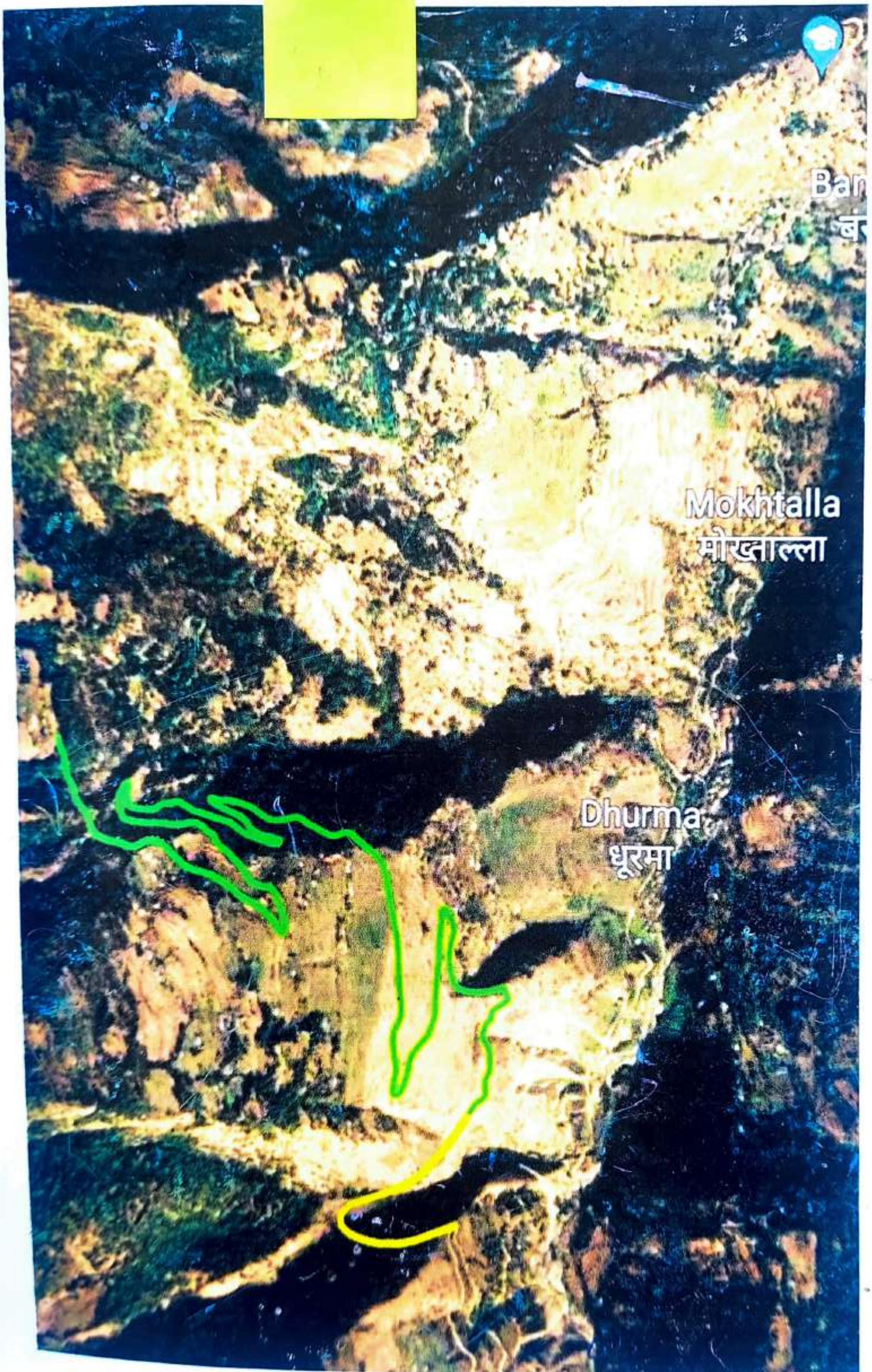

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

वरिष्ठ अभियन्ता
एन०पी०सी०सी०लि०
नन्दप्रयाग

प्रबन्धक
एन०पी०सी०सी०लि०
पी०आई०यू० नन्दप्रयाग

भीमलाल कोहली
उपराजिक

हरीश सिंह भण्डारी
ग्रा० प्र०... मोख...
तहसील ... घाट...
जिला चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

उप जिलाधिकारी (सदर)
चमोली